LOK SABHA

Wednesday, 22nd September, 1954.

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(*See Part* I)

12 NOON

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

PRESENTATION OF TWELFTH REPORT

Shri Altekar (North Satara): I beg to present the Twelfth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now proceed with the legislative Business—further consideration of the following motion moved by Shri Bhonsle on the 21st September:

> "That the Bill to provide for the payment of compensation and rehabilitation grants to displaced persons and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

Now, of the six hours allotted to this Bill, 3 hours and 46 minutes have already been availed of yesterday, and two hours and fourteen minutes still remain. This will mean that discussion on this Bill will conclude by 2-15 P.M.

After this Bill, the House will take up consideration of the Constitution (Third Amendment) Bill. As the House is aware, six hours have been allotted for all the remaining stages of that Bill.

Now, before we proceed further, in view of the very short time at the disposal of the House so far as the discussion of the Displaced Persons Bill is concerned, I should like to be specific about the time to be taken on the remaining two stages of the Bill. The general discussion is going on and it has gone on for 3 hours and 46 minutes. So, how long shall we continue the general discussion? Is it the idea that the clauses will have a very short time, and then the third reading will be absolutely nominal?

Shri Gidwani (Thana): One hour may be given to the clauses.

Mr. Speaker: One hour for the clauses. And the third reading?

Shri Gidwani: Half an hour.

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): I think one hour more may be allotted for the general discussion, and say about 45 minutes for the clauses. There are not many amendments and the amendments are of a very simple nature. Half an hour may be allotted for the third reading. Perhaps one or two members of the House may like to speak in the general discussion. I will also require about half an hour to reply.

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Defence (Shri Jawaharlal Nehru): I think, Sir, your suggestion is much better, if I may suggest to my colleague, because

[Shri Jawaharlal Nehru]

once you spend the time in the first stages, you may be hard put to it in the later stages. It is far better to save time in the earlier stages.

Mr. Speaker: I am entirely in the hands of the House. I think I should fix one hour for the clauses and half an hour for the third reading. Now, let me make up the mathematics of this. 3 hours and 46 minutes out of 6 hours—so we shall continue the general discussion on the consideration motion for 45 minutes more.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Kidwai): 44 minutes.

Mr. Speaker: Yes. We shall have 39 minutes for the next stage.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Pandit Thakur Das Bhargava.

Pandit Thakur Das Bhargava *rose*—

Mr. Speaker: There are only 45 minutes that remain now and there are some three or four speakers as I see. They could be very well adjusted in the time-limit of 15 minutes.

Shri A. P. Jain: In fact, even one of the speakers has spoken for half an hour, and the general discussion has been going in for nearly four hours. I will require at least half an hour to reply.

Mr. Speaker: I was not thinking of the Minister's reply. I was thinking of the time to be given to the hon. Members who wish to speak. But the Hon'ble Minister will take half an hour. Then, practically one speaker for 15 minutes is left.

Pandit Thakur Das Bhargava.

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसके क्लाजेज पर मुझे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है सिवा एक क्लाज के जिसके लिये कल शाम मैं ने अमेंडमेंट दिया है । मुझे उम्मीद है, जैसा कि अभी हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने फरमाया है, कि क्लाजेज के ऊपर ज्यादा बहस नहीं होगी और इस की खास वजह है क्योंकि यह बिल इस किस्म का है जिस पर कि क्लाजेज पर बहस हो ही नहीं सकती है । यह बिल एक स्केलिटन बिल है और जहां तक इसके उसूल का सवाल है उस पर सिलेक्ट कमेटी में ऐसी यूनैनिमिटी थी कि जिस चीज को हमने जैसा चाहा मिनिस्टर साहब मानते चले गये और इसलिये हमें इस में लम्बी चौड़ी बहस नहीं करनी है । आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने खुली इजाजत दी कि जैसा चाहो कर लो । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि ज्यादा झगड़ा तो तब पड़ेगा जब रूल्स बनेंगे । उसके वास्ते भी आनरेबुल मिनिस्टर साहब ने हमको यकीन दिला रखा है कि वह हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी मदद और सलाह से रूल्स बनायेंगे और यह बिल उन बिलों में से है जिस पर सारे मेम्बरों की पूरी यूनैनिमिटी होगी । इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि यह एक खुश किस्मत बिल है कि जिसमें मेम्बरों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान पूरी तरह से और अच्छी तरह यूनैनिमिटी है ।

एक चीज जिसका जिक्र कल मेरे बुजर्ग श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया, उसके मुताल्लिक मुझे चन्द अलफाज कहने हैं । उन्होंने हाउस में कल यह फरमाया कि यह जो पबलिक इंस्टीट्यूशंज और पबलिक बाडीज को कम्पेन्सेशन पूल में से निकाल दिया गया है, यह गलत हुआ है । अब वह जो कुछ इर्शाद फरमायें उसको मैं कंट्रैडिक्ट करने को तैयार नहीं हूं । मुमकिन है हमने गलती की हो लेकिन जिन वजूहात से हमने ऐसा किया उनको मैं अर्ज करना चाहता हूं । एक तो यह बात थी कि हमारे पास कोई comparable प्रापर्टीज नहीं थी वहां के इक्वैलेंट प्रापर्टी की । कोई ऐसे पबलिक इंस्टीट्यूट्स और पबलिक ट्रस्ट नहीं थे जिनके रुपये से उस डिमांड को पूरा किया जा सकता । इसके अलावा आनरेबुल मिनिस्टर ने यह फरमाया कि २५ लाख रुपया तकरीबन गवर्नमेंट पबलिक ट्रस्ट और पबलिक इंस्टीट्यूट्स को दे चुकी है और गवर्नमेंट की अपनी स्कीम में यह दर्ज था कि गवर्नमेंट बाकियों को भी जितना

गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी मदद देगी और काफी मदद देगी। इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तो यह भी ख्वाहिश थी कि उनको और भी ज्यादा लिबरली मदद दी जाय। ऐसी सूरत में हमने यही मुनासिब समझा, गवर्नमेंट की मंशा नहीं थी। हमने जो कमेटी के मेम्बर थे उसको मंजूर किया कि कम्पेन्सेशन पूल में से इस रकम को बाहर निकाल दिया जाय। ताकि वह कम न हो, क्योंकि हम जानते थे गवर्नमेंट इनको जरूर मदद देगी।

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

लेकिन मैं इस क्रिटिसिज्म को जो हमारे बुजर्ग टंडन जी ने किया अब यह जितने इंस्टीट्यूट्स हैं यह गवर्नमेंट की खिदमत में कासा गदाई लेकर जायेंगे, गवर्नमेंट कोई मदद दे या न दे, इसको मैं महसूस करता हूं। इस सारे बिजनेस में, इस कम्पेन्सेशन के सारे बिजनेस में, मेरे हाथ में कासा गदाई है यह मैं नहीं मानता, लेकिन गवर्नमेंट से मैं कम्पेन्सेशन इस तरह से भी नहीं मांगता हूं कि जैसे कोई लड़ कर कुछ मांगता है। श्री विनोबा भावे ने, जिन्होंने इस देश के अन्दर एक बड़ा भारी यज्ञ चलाया है उनका मत है कि भूदान में जो लोग देते हैं वह दान के तौर पर नहीं देते हैं, वह अपनी सोशियल जस्टिस की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। यह दान नहीं है, यह एक फर्ज की अदायगी है और वह कहते हैं कि आखिर में हमारे हाथ में सेप्टर आफ सोशियल जस्टिस है। यह जो कम्पेन्सेशन का पैसा हम मांगते हैं तो कहते हैं कि यह कासा गदाई है लेकिन इस कासा गदाई के पीछे मैं बताना चाहता हूं कि वह सोशियल जस्टिस की फोर्स है, महज एक बैगरी नहीं है। इसके अन्दर बड़ी भारी वजूहात हैं जिनकी वजह से अगर यह पबलिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट से सहायता मांगेंगे तो गवर्नमेंट अगर उनकी मदद करेगी तो यह कोई उनके ऊपर कोई रियायत नहीं करेगी। गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह ऐसी संस्थाओं को मुआविजा दे, उनको जिन्दा रखे, मुआविजे से ज्यादा दे क्योंकि एक पबलिक इंस्टीट्यूशन का हक मामूली आदमी के हक से ज्यादा होता है। अगर हमने गलती की तो वह जो गलती हमने की है तो उसके हिस्सेदार हमारे आनरेबुल मिनिस्टर भी हैं। वह खुद देख लेंगे कि अगर हमने गलती की तो वह उस गलती को मेक अप करेंगे और जितना उनका हक है उससे ज्यादा इमदाद देंगे। जनाबवाला, जहां तक कि इस सारे कम्पेन्सेशन बिल का सवाल है, मैं ने अर्ज किया है और मैं ने सिर्फ एक अमेंडमेंट दफा १४ पर भेजा है। दफा १४ पर मैं जनाब का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। इस अमेंडमेंट के मुताल्लिक भी जो कुछ मुझे अर्ज करना है अभी बहुत कुछ अर्ज कर दूंगा और उस वक्त अगर जरूरत हुई तो उस अमेंडमेंट को सिर्फ मूव कर दूंगा।

जिस वक्त सन् १९४७ में हिन्दुस्तान के अन्दर पन्द्रह अगस्त को बराबर के कमरे में गवर्नमेंट ने शासन की बागडोर पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी, उस वक्त देश का जो हाल था वह किसी से छिपा नहीं है। अमृतसर में और लाहौर में और देश के दूसरे हिस्सों में उस यूनाइटेड पंजाब में जो कुश्त खून हुआ और जो हालत थी वह किसी से छिपी नहीं है। मैं आज उसकी तरफ तवज्जह दिलाना नहीं चाहता हूं। मुझे मालूम है कि पार्टीशन के वक्त भी हमारे टंडन जी और महात्मा जी उसके हक में नहीं थे लेकिन वह वक्त ऐसा था कि आज मैं अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकता हूं सन् ४६ में जैसे दिन देखे उससे हम सब पर यह असर था कि अगर इस तरह से पार्टीशन नहीं हुआ तो हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो जायगा। इन दो बुजर्गों के अलावा मैं और किसी बड़े बुजर्ग को नहीं जानता जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया हो। आज मास्टर तारासिंह और दूसरे हिन्दू भाई भले ही गालियां दें और कहें कि कांग्रेस ने गलती की लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह सब के सब सहमत थे, सब के सब राजी थे और उन सब की रजामंदी से वह पार्टीशन हुआ। मैं यह नहीं अर्ज करना चाहता कि जिस गवर्नमेंट ने पार्टीशन किया उसकी किसी तरह से कम्पेन्सेशन देने की लीगेली जिम्मेदारी है। जिस चीज के ऊपर और जिस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मजबूत फाउंडेशन पर क्लेम रखता हूं वह बिल्कुल इससे डिफरेंट है। बेशक हमने एक गलती की थी और जिसका मैं बहुत दफा एतराफ कर चुका हूं। हमने यह बेवकूफी की कि हम अंग्रेजों के कहने में आ गये और यह शर्त मान ली कि तीस नवम्बर सन् ४७ तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की फौजें अौचनलेक के हाथ में रहेंगी और यही वजह थी जो दोनों जगहों पर इतना कसरत खून हुआ। यह हमारी नातजुर्बेकारी थी कि हमने उस शर्त को मान लिया। अगर हम वह चीज न माने होते तो इतना खूनी पार्टीशन इस देश में नहीं होता। खैर, जो कुछ हुआ वह तो हो गया। मैं जिस चीज पर यह कम्पेन्सेशन का क्लेम बेस करता हूं वह बिल्कुल दूसरी चीज है। उस प्रेडीसेसर कैबिनेट ने, जिसके बड़े रुक्न हमारे प्राइम मिनिस्टर और सरदार पटेल थे उस वक्त एक ऐसे तदब्बुर और आला हौसलगी का सबूत दिया, ऐसा इंतजाम करने की काबिलियत का सबूत दिया जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मैं उस स्कीम की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो हमारे कैबिनेट ने इवैकुएशन के वास्ते की। पचास लाख आदमियों को उधर से इधर लाया गया और उसके लिये देश की सारी रिसोर्सेज, सारी रेलें, मोटर कारें, एरोप्लेन, लारी, गाड्र्ड और जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेज थे सबके सब इस इवैकुएशन को कामयाब बनाने के लिये इस्तेमाल किये गये और इसी का नतीजा था कि इतने थोड़े अर्से में इतने लाखों आदमी जो करोड़ के करीब पहुंचते थे उधर से इधर ले जाये गये और उनको हिफाजत से लाया गया और यह एक करिश्मा था। शायद हिस्ट्री के अन्दर बहुत थोड़े ऐसे करिश्मे हुए होंगे। इसी सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में इस प्राबलम का जो एक मॉरेल एंसपेक्ट है उसको रखना चाहता हूं। एक वक्त मैं मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से पंजाब के वास्ते एंडवाइजर था। मैं फीरोजपुर के एक कैम्प में गया और वहां जा कर मेरी एक बूढ़ी औरत से बातचीत हुई। उस औरत ने जिस तरीके से कि इवैकुएशन को समझा और जिस तरह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को समझा, मैं वह आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। वह औरत कहने लगी कि हमें कांग्रेस गवर्नमेंट और पंडित नेहरू ने जीवनदान दिया है और अगर उन्होंने हमें न बचाया होता तो हम वहीं मर जाते, उसी देश के अन्दर दफन हो जाते, हमारी कब्र बन जाती या कोई हमको जला देता। अब हमको इस देश में ला कर और जीवनदान दे कर क्या किया चाहते हैं? क्या पंडित नेहरू और कांग्रेस गवर्नमेंट क्या यह चाहती है कि वहां मरने के बजाय हम यहां मरें, इंच बाई इंच हम यहां मरें। आप जो हमारी जिन्दा लाश को वहां से निकाल लाये तो आप उस लाश को इंसान की तरह रखना चाहते हैं या आप हमको मार देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है उस कैबिनेट से और उसके मेम्बर्स से कि आप इवैकुएशन करके पचास लाख आदमी इस देश के अन्दर ले आये, वे सारा सामान। मैंने वह जमाना देखा है और खुश किस्मत अपने को समझता हूं कि मैंने हिन्दुस्तान को आजादी मिलने का जशन देखा और बदकिस्मत इस मानी में कि जुलाई और अगस्त में पंजाब में लाहौर के अन्दर और साथ ही दिल्ली के अन्दर जो कुछ मेरी नजरों से गुजरा, भगवान न करे किसी आदमी को वह सब देखना पड़े। मैं ने वह वक्त देखा है जब यहां पर हमारे रिफ्यूजीज भाई आये, जिन स्टेशनों से वह पास होते थे वहां के लोग उनको हर तरह की सहूलियत पहुंचाते थे और उनको हलवा पूरी आदि देते थे। यह समझ कर की मुसीबतजदा हमारे भाई पाकिस्तान से आये हैं, मेहमानों की तरह उनकी खातिर करते थे। आज मैं अदब से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि हम उन भाइयों के साथ इंसाफ करने को तैयार हैं कि नहीं, जिन को हम इस हालत में लाये और जो कि अगर न लाये जाते तो वहां मर जाते, जैसे शेखूपुरा में एक अहाते में १२ हजार आदमियों को भून दिया गया, वे भी अगर वहां से न लाये जाते तो कत्ल हो जाते और आपका सिर दर्द भी खत्म हो जाता, लेकिन अब चूंकि आप उनको वहां पर निकाल लाये हैं, तो

अब आप उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं ? मैं इन सफेद पोशों का जिक्र नहीं करना चाहता जिन को आप सात, सात हजार रुपये कम्पेन्सेशन के देंगे । मैं तो उन एक लाख आदमियों का जिक्र करना चाहता हूं जिनके बारे में श्री निकुंज बिहारी ने कहा था कि उन्होंने कोई क्लेम ही नहीं दिया है । ऐसे आदमी जिन्होंने एक पैसे का भी क्लेम नहीं दाखिल किया है और जिनकी नागुफ्ताबेह हालत है, उनके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? पलवल, फरीदाबाद, और गुड़गांव में कितने ही ऐसे गरीब शरणार्थी पड़े हैं जो नहीं जानते कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है, जिनको दोनों वक्त पेट भर खाना नहीं मिलता, जिनको मजदूरी नहीं मिलती और जो बेकार बिना काम के हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई मुआविजा पाने के लिये क्लेम भी नहीं दिया है और बहुतों ने जिन्होंने क्लेम दिये हैं उनके बाबत मैं आपको आगे बताऊंगा आपको मालूम है कि वहां पर कितने ही सरकार द्वारा मडहट्स बनायी गई हैं जिन पर गवर्नमेंट का करीब ६० हजार या ज्यादा रुपये खर्च आया लेकिन गवर्नमेंट जब उन लोगों से पार्ट आफ दी प्राइस एडवांस में केवल आठ रुपये मांगती है, तो कितने ही वहां पर लोग ऐसे हैं जो कि आठ रुपये भी एक मकान को हासिल करने के वास्ते नहीं दे सकते हैं । मैं ने श्री अजित प्रसाद जैन साहब की खिदमत में भी जा कर उन गरीब आदमियों का जिक्र किया कि उन की ऐसी हालत है कि वह आठ आठ रुपये भी नहीं दे सकते हैं और उन में से हजारों लाखों शरणार्थी इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जिन को न रिहैबिलिटेशन बेनिफिट मिला और जिन की हालत नागुफ्ताबेह है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप उन को जिन्दा रखना चाहते हैं तो इस रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट को तब तक खत्म न कीजिये जब तक आप इस तरफ अच्छी तरह से न देख लें और रिहैबिलिटेट न कर लें । मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि आप इस को मुलाहिजा फरमायें कि आप क्या दे रहे हैं और क्या उन लोगों को जरूरत है ।

आप कहते हैं कि ८५ करोड़ रुपया हम ने रिहैबिलिटेशन के ऊपर खर्च किया । मैं आप को इस का क्रेडिट देने को तैयार हूं कि जहां तक भाखड़ा डैम का ताल्लुक है, जहां तक फाइव इअर प्लान का ताल्लुक है, उन के अन्दर आप शरणार्थियों को बहुत सी इनविजिबल हेल्प दे रहे हैं, मैं इस के लिये आप का बहुत मश्कूर हूं, लेकिन यह जो ८५ करोड़ की बात की जाती है, यह ठीक है कि उस से बहुत से शरणार्थियों को मदद मिली है, लेकिन जो यह ८५ करोड़ रुपया है इस की फेस वैल्यू कुछ है और उस की रिअल वैल्यू कुछ है ।

इसी तरह से आप फरमाते हैं कि आप मकानात देंगे जायदाद देंगे । लेकिन अगर आप उस जायदाद को नीलाम कर दें जो कि मुसलमानों की है, तो शायद वह किसी कदर १०० करोड़ से बढ़ जाय, लेकिन मैं आप की पालिसी जानता हूं और यह भी जानता हूं कि इस से ज्यादा कोई जुल्म नहीं होगा कि जो लोग मकानों में बैठे हैं उन को आप बेदखल कर दें और नये सिरे से उन को फिर रिफ्यूजी बना दें । बहर सूरत यह १०० करोड़ अगर हो भी जाय, तो भी, मुमकिन है कि जो बहुत से गरीब शरणार्थी हैं उन की कुछ सुनवाई हो और उन को आइन्दा कुछ दे दिया जाय । मुझे पता नहीं कि इस कम्पेन्सेशन पूल की कितनी कीमत हो जायेगी।

Mr. Chairman: The hon. Member has taken more than twenty minutes. I think he should finish now.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जनाब चेअरमैन साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं की मैं ने जो नं० १४ का एमेन्डमेन्ट दिया हुआ है उस के बारे में आप से मुझे बहुत कुछ अर्ज करना है । वह काफी लम्बा चौड़ा और काफी अहमियत का है, लेकिन उस के ऊपर मैं दुबारा अर्ज नहीं करूंगा । जो वक्त मुझ को आप उस वक्त देंगे वह इसी वक्त इनायत कर दें तो बेहतर है ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो १०० करोड़ रुपया है उस की तरफ गौर किया जाय।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में नहीं चाहता कि एक भी मुसलमान को तकलीफ हो, जिस का मालिक मौजूद हो, उस की प्रापर्टी को इवैक्वी प्रापर्टी न करार दिया जाय, लेकिन में यह पूछना चाहता हूं कि आप यह किस हिसाब से कह रहे हैं कि १८५ करोड़ रुपया दिया गया है। इस का क्या कोई मेआर भी है ? यह १०० करोड़ रुपया कोई शरणार्थियों की जायदाद नहीं है, अगर यह एबन्डन्ड प्रापर्टी की कीमत है तो गवर्नमेंट का यह कहना कि गवर्नमेन्ट ने १८५ करोड़ रुपया खर्च किया है यह जायज चीज नहीं है। या तो आप कम्पेन्सेशन न देते और कहते कि हम कम्पेन्सेशन देने की हालत में नहीं हैं, लेकिन अगर कम्पेन्सेशन देते हैं, तो कम्पेन्सेशन के माने हैं कि फुल *Quid Pro Quo* चीज। फुल कम्पेन्सेशन इस का मतलब है ट्रंकेटेड कम्पेन्सेशन नहीं। में जानता हूं कि गवर्नमेन्ट ने जो कुछ किया, मुहब्बत और जांफिशानी से किया। जो भी शरणार्थी पूरी हिन्दुस्तान की पिक्चर देखता है वह नहीं कहता कि उस को १०० पर सेन्ट कम्पेन्सेशन दे दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जो मौजूद स्कीम थी उस को छोड़ कर हमारे बुजुर्ग ने गुजारिश की कि, लेवी को एंडवांकेट किया जाये लेकिन जो कुछ मेरे एंमेन्डमेन्ट में शामिल है आप कम से कम उसे कर सकते हैं। अगर आप कम्पेन्सेशन का नाम देते हैं तो कम्पेन्सेशन रखिये, लेकिन अगर आप किसी को ८ आ० से कम कम्पेन्सेशन देते हैं तो वह कम्पेन्सेशन नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे ५१ मेम्बरों ने जिस में कि हमारे श्री ए० पी० जैन भी और श्री जे० के० भोंसले भी शामिल हैं, सब ने मुतफिका रिपोर्ट पेश की और उस में गवर्नमेंट से प्रस्ताव किया कि वह इतना मुआवजा दे दें। में इस की तरफ फिर लौटूंगा।

में दो बातें जनाब की खिदमत में अर्ज कर दूं। वह यह कि जिस वक्त यह इवैक्वी प्रापर्टी का कानून बना था और कम्पेन्सेशन का सवाल उठा था उस वक्त हमें मालूम हुआ कि दोनों गवर्नमेन्टों, यानी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, के सेक्रेटरीज मिले और फैसला किया कि दोनों मुल्कों की जमीनों की कीमतों में जो फर्क हो वह पाकिस्तान हिन्दुस्तान को अदा कर दे। जब मि० जिन्ना के पास यह मामला गया तो वह कहने लगे कि आप तो सारे पाकिस्तान को मार्टगेज करना चाहते हैं, चुनांचे वह खत्म हो गया। पाकिस्तान ने उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया। लेकिन में मुबारकबाद देना चाहता हूं हिन्दुस्तान की गवर्नमेन्ट को। यह हमारा ही कैरेक्टर था कि महात्मा गांधी के कहने पर कि गुड़गांव स्टेशन पर जो एक लाख मेव दूसरे मुल्क को जा रहे थे, उन को रोक लो, हमारी गवर्नमेन्ट ने उन को रोका और मेहरबानी कर के उन की जमीन और मकान वापस किये। जिन को अभी तक नहीं वापस किया गया उन के लिये में फिर कहता हूं कि वापस किया जाय। नेहरू लियाकत पैक्ट में यह था कि जो आदमी चले गये थे उन को वापस ला कर के उन की जायदाद को उन को वापस किया जाय। श्री जवाहरलाल नेहरू के हुक्म से हर एक उस आदमी को जो ईस्टर्न पाकिस्तान से वापस आया २०० रुपये दिये गये, लेकिन जो यहां के शरणार्थी थे उन को पाकिस्तान ने एक पैसा भी नहीं दिया। में नहीं कहता कि इस इवैक्वी प्रापर्टी ला की रू से किसी मुसलमान की प्रापर्टी ले कर शरणार्थी को दे दी जाय, लेकिन में पूछना चाहता हूं कि आप ने किस क्राइटेरियन से १८५ करोड़ रुपये की रकम मुकर्रर कर दी और कह दिया कि हम इतनी रकम आगे देना चाहते हैं। में इस के ऊपर अपना क्लेम नहीं रखता कि ६५ परसेन्ट आपने रूरल आदमियों को दे दिया, में तो कहूंगा कि आप ने रूरल आदमियों को जितना दिया सब ठीक है। वह शहरियों के मुकाबिले में कमजोर हैं। उन को जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं जरूर दें। लेकिन में आप से पूछता हूं कि क्या आप की दलील है ? आप कहते हैं कि हम बड़े आदमियों को गरीब की जेब से ले कर नहीं दे सकते। कौन कहता है कि दीजिये। दीवान कृष्ण किशोर जिस को दस हजार रुपये महीने की किराये की आमदनी थी आज आप की खिदमत में यह कहने नहीं

गया कि मेरा पैसा दे दो, मेरी जायदाद दे दो। लाला राम दास की जो हैसियत थी उस को सब जानते हैं, वह तो मांगने नहीं गया। न मैं उस के लिये अर्ज कर रहा हूं और न वह अपने लिये अर्ज करते हैं। आप ने जो सीलिंग रखी है कि जिन की एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति थी उन को आप पचास हजार रुपये की जायदाद दे रहे हैं, आप उस को बढ़ाइये या न बढ़ाइये मेरे से पूछें तो कम अज कम एक लाख तो कर दें। लेकिन जिस की तीन हजार से कम की प्रापर्टी थी उस को कैसे सबर आ सकता है अगर उस को भी आप बराबर की प्रापर्टी या मुआवजा न दें। जिस की दस हजार रुपये महीने की आमदनी थी, उस को आप अगर एक लाख की जायदाद भी दें तो न के बराबर है लेकिन सच तो यह है, वे बिचारे चुप चाप पड़े हैं और कभी आप का दरवाजा नहीं खटखटाते। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने तो अपने क्लेम तक नहीं दिये क्योंकि वह गलतफहमी में थे। मैं कहता हूं कि जिस को आप २,००० रुपये मुआवजा दे रहे हैं, उस को आप १६ आ० दीजिये, जिस को २,००० से १०,००० तक दे रहे हैं उस को १४ आ० दीजिये और जो उस के ऊपर के क्लेम हैं उन के ऊपर आप ८ आ० या ४ आ० दें। मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है जब कि हमारे शरणार्थी भाइयों का मामला आखिरी मरहले पर है। उन की तकलीफ को देख कर कोई शख्स ऐसा नहीं है जिस का दिल नहीं पसीजता। जो वहां से जिन्दा लाशें बे सरो सामान आई हैं, आप का फर्ज है कि आप उन को जिन्दा ही न रखें, बल्कि इस काबिल भी बनायें कि वह अपनी रोटी कमा सकें। अगर किसी खान्दान के अन्दर---जैसा हमारा हिन्दुस्तान एक खानदान है---एक लाचार आदमी है, जख्मी आदमी है, बीमार है, तो उस को आप को दवा देनी ही होगी, उस को दूध पिलाना ही होगा, उस के जख्मों पर मरहम रखना ही होगा। मैं जानता हूं कि गवर्नमेन्ट ने बहुत कुछ किया है, इन सालों में उस ने जो कुछ शरणार्थियों के लिये किया है वह मुझ से छिपा हुआ नहीं है। इस बारे में मैं हमेशा गवर्नमेन्ट की तारीफ करता रहा हूं कि उस ने जो कुछ किया, तकलीफ उठा कर भी शरणार्थियों की मदद की, वह बहुत काफी था। लेकिन ताहम मैं इस चीज को छिपा नहीं सकता कि अगर आप चाहते हैं कि इन शरणार्थी भाइयों को और दूसरों को साइकोलोजिकल सैटिस्फैक्शन हो, आप उस को अपनी तरफ से मदद कीजिये। हम कुछ और ज्यादा नहीं मांगते हैं, यही हमारी छोटी सी मांग है कि आप शरणार्थियों को साइकोलोजिकल सैटिस्फैक्शन दीजिये और कम अज कम ५० प्रतिशत उन के मुआवजे की वेरीफाईड रकम उन पर खर्च कीजिये या मुआवजा दीजिये।

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up. He has taken really five minutes more than the allotted time. I think he has said enough on that point.

Pandit Thakur Das Bhargava: I thank you very much.

आखिर में मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं किसके खिलाफ शिकायत करूं। जितने भी अमेंडमेंट हैं वे आनरेबुल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हैं। यह जो अमेंडमेंट दिये गये हैं क्या वह जैन साहब के खिलाफ हैं या भोंसले साहब के खिलाफ हैं? यह दोनों तो उन ५१ आदमियों के साथ कासाये गदाई लिये सबसे आगे थे। मैं जानता हूं कि अगर इनकी चले तो हमको बहुत ज्यादा मदद मिले। सिलेक्ट कमेटी वालों की तो यह राय है ही कि और ज्यादा मिलना चाहिये, जो सिलेक्ट कमेटी में नहीं थे वह भी यही कहते हैं कि इसको बढ़ा दिया जाय। मैं जानता हूं कि यह इस हाउस की और सारे देश की मुत्तफिका राय है कि यह रकम बढ़ाई जाय। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहिबान की भी यही राय है और मैं आनरेबुल मिनिस्टरान के जरिये कैबिनेट से गुजारिश करना चाहता हूं कि वह इस मसले पर गौर करें। जहां तक पंडित नेहरू का ताल्लुक है उन्होंने तो शरणार्थियों की सब से ज्यादा मदद की है। एक बार उनके वह ब्रेन वेव आयी कि शरणार्थियों को उस वक्त

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तक न हटाया जाय जब तक कि उनको आल्टरनेटिव एकोमोडेशन न दे दी जाय. .....

Mr. Chairman: His time is up.

Pandit Thakur Das Bhargava: I think you have given me five minutes more.

Mr. Chairman: No. You have already taken five minutes more. You were allowed by the Speaker fifteen minutes; you have really taken twenty minutes.

Pandit Thakur Das Bhargava: Ten minutes were allotted. On the contrary, the Speaker said that there would be only one speaker and forty five minutes remained, out of which half an hour was to be given to the hon. Minister. So I should get at least fifteen minutes.

Mr. Chairman: It is forty-five minutes in all for this consideration motion and out of that, the Minister will take half an hour.

Pandit Thakur Das Bhargava: Therefore, he was pleased to say that only one Member would be allowed to speak and I was called upon to speak. That leaves only fifteen minutes. You were pleased to allow ten minutes.

Mr. Chairman: No, I have given you twenty minutes.

Pandit Thakur Das Bhargava: I will finish in two minutes.

मुझे अफसोस है कि आज ऐसे मौके पर जब कि मैं चाहता था कि कैबिनेट के सामने अपना दिल निकाल कर रख दूं तो मेरे पास वक्त नहीं है और इसलिये मैं इससे ज्यादा कुछ अर्ज नहीं करना चाहता कि यह इस वक्त सिर्फ किसी एक पार्टी की मांग नहीं है, यह सारे हाउस की मांग है कि कम्पेन्सेशन की रकम को बढ़ाया जाय । सिलेक्ट कमेटी की, जिसमें कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर शामिल हैं, यही यूनानिमस रिपोर्ट है, जैसी कि कभी नहीं होती है । मैं जानता हूं कि इस मामले में हमारे बहुत कैबिनेट के मिनिस्टर साहिबान क्या चाहते हैं । इसलिये मैं दस्तबस्ता कैबिनेट के पास एक मारूजा भेजना चाहता हूं और वह यह कि वह इस मौके को हाथ से न गंवाये और वह इस वक्त इन शरणार्थियों को मौका दें कि वे साइकोलोजीकल सैटिस्फैक्शन हासिल करें कि उनकी अर्ज आखिरी मरहले पर आ कर कबूल हो गयी । और ५० प्रतिशत वेरीफाईड कलेमज का उन को मिले या उन पर खर्च हो ।

श्री ए० पी० जैन : सभापति जी, कल प्रोफेसर शर्मा ने अपने व्याख्यान के दौरान में दोबारा बसाने के मसले को एक ड्रामा या खेल कहा । एक हद तक उनका यह कहना ठीक है । दुनिया एक खेल है, दुनिया एक ड्रामा है । लेकिन दुनिया के ड्रामा में जो एक्टर होते हैं वे असली एक्टर होते हैं, बनावटी एक्टर नहीं होते हैं । और यह दोबारा बसाने का जो खेल खेला गया इसमें हमारे शरणार्थी भाइयों ने अच्छा खेल खेला और मैं हिम्मत के साथ यह भी कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ने भी अच्छा खेल खेला ।

प्रो० शर्मा ने साथ ही साथ यह भी कहा कि यह खेल एक ट्रेजेडी है । इस सम्बन्ध में मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता क्योंकि आम तौर से देखा जाता है कि ट्रेजेडी इस तरह से शुरू होती है कि एक दो आदमी अच्छी तरह से जिन्दगी बसर करते हैं । ज्यों ज्यों वह आगे को बढ़ते हैं उनके सामने कुछ कठिनाइयां पड़ती हैं और आखिर में उनको इन्तिहाई तकलीफ उठानी पड़ती है । यह खेल बिल्कुल उसका उल्टा है । पुरुषार्थी भाई यहां आये थे मुसीबत में । किसी के घर वाले वहां पर रह गये थे, सब लोग अपनी जायदादें वहां पर छोड़ कर आये थे । यहां उनके लिये न घर था न दूवार था, कैम्पों में वे रह रहे थे । आज सात बरस बाद हम देख रहे हैं कि हर एक आदमी के वास्ते एक छत है । हो सकता है कि उस किस्म की छत न हो जैसी कि उनके पास पाकिस्तान में थी । कुछ के पास उससे अच्छी छतें भी हैं, कुछ के पास उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन आज छत हर एक के लिये है ।

कुछ कारोबार कर रहे हैं, कुछ के लिए रुपये का भी प्रबन्ध हुआ है । कुछ को कारीगरी की ट्रेनिंग दी गयी और मैं समझता हूं कि आज हम उस मंजिल पर हैं जब कि इस ड्रामा का आखिरी एक्ट खेला जा रहा है और कुछ समय बाद हम इसको खुशी के साथ खत्म करेंगे । जो तकलीफ में आये थे उनकी तकलीफ दूर होगी और वे हिन्दुस्तान के उसी तरह से बाशिन्दे होंगे जैसे कि और लोग यहां पर बसे हैं । यह चन्द लफ्ज मैं ने कहे हैं तमहीद के तौर पर । लेकिन पेशतर इसके कि जो कल बहस हुई उसके खास मजमून पर आऊं मैं आपकी तवज्जह चन्द उन शब्दों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कल श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तेमाल किये । मेरे पास उनकी स्पीच की रिपोर्ट है । मैं उसमें से पढ़ कर आपको सुनाता हूं ।

Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur): May I submit that I have a copy of my speech here and what I said was this.....

Shri A. P. Jain: I am not yielding the floor.

Mr. Chairman: The hon. Minister is not giving way.

श्री ए० पी० जैन : "सरकार की ओर से इतना छोटा और ओछा बनियापन मुझे अच्छा नहीं लगता । हमारे मंत्री जी हैं तो बनिया, हिसाब किताब में चतुर हैं, परन्तु हिसाब किताब की चतुराई सदा इसी में नहीं होती कि काट कपट किया जाय । हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई नहीं है । "

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद---पश्चिम) : हिसाब कम बनाना ?

श्री ए० पी० जैन : यह आपने खुद कहा था ।

श्री टंडन : कम बनाने के मानी कोई फोर्जरी करने से नहीं हैं किन्तु मुनासिब से कम देना है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं श्रद्धेय टंडन जी का आदर करता हूं । मैं इन शब्दों का कुछ उत्तर नहीं देना चाहता । लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि इन शब्दों को इस्तेमाल करके उन्होंने अपना और इस हाउस का बड़प्पन कुछ ऊंचा नहीं किया ।

श्री टंडन : मैं मंत्री जी से इतना निवेदन कर दूं कि इन हास्य रस के वाक्यों को वे अन्यथा न समझें । वे स्वयं भी हास्य रस को पहचानने वाले हैं । वह इतना समझ सकते हैं कि इन हास्य रस के वाक्यों द्वारा कोई वैयक्तिक आक्षेप तो असम्भव था । मेरे मुंह से अपने मित्र के बारे में आक्षेप का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था । यह तो गवर्नमेंट की नीति की बात थी जो मेरे मन में थी । और जो मंत्री जी की इसमें चर्चा आ गयी वह तो केवल हास्य रस में था । चूंकि वे वैश्य वृत्ति के हैं इसलिये एक बात मेरे मन में आ गयी और मैंने कह दी ।

श्री ए० पी० जैन : अगर 'छोटा और ओछा बनियापन' और "काट कपट करना" हास्य रस के शब्द हैं तो ठीक है ।

श्री टंडन : ये शब्द तो हास्यरस के नहीं हैं । ये सरकार की नीति के बारे में कहे गये थे । परन्तु मंत्री जी की वैयक्तिक बात हास्य रस में कही गयी थी ।

श्री ए० पी० जैन : मैं इस सम्बन्ध में कुछ जवाब नहीं देना चाहता, न बदला लेना चाहता हूं और न कुछ आगे अर्ज करना चाहता हूं । मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं ।

कल आनरेबल श्री एन० बी० चौधरी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में यह शिकायत की कि इसमें कोई बड़ा और जनरल खाका दिया हुआ है । इसमें वह तफ़सील नहीं है जिससे मालूम हो कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है । उनकी जो यह नुक्ताचीनी

[श्री ए० पी० जैन]

है उसको मैं तसलीम करता हूं । लेकिन यह जितनी जटिल समस्या है, जितनी इसके अन्दर कठिनाइयां हैं, जितनी इसके अन्दर पेचीदगियां हैं उनको सामने रखते हुए यह लाजिमी था कि बिल इस क़िस्म का हो कि जिसमें मोटे मोटे उसूल रखे जायं और उसकी जो बारीक बातें हैं या जो उसकी पूरी शक्ल देनी है वह रूल्स के जरिये से दी जाय । हमें तो इस वक्त यह भी एक सुभीता हासिल है कि एक अन्तरिम कम्पेन्सेशन स्कीम हमने जारी की थी जिसमें कि इस स्कीम की रूपरेखा दी हुई है । और जो आयन्दा होने वाला है वह कमो बेश उन्हीं उसूलों के ऊपर होगी कि जो उस इंटेरिम स्कीम के अन्दर दिये हुये हैं । सभा को यह भी पता है कि इस बिल के अन्दर एक दफ़ा है जिसके मातहत क़ायदे बनाये जायेंगे, वह क़ायदे हाउस के सामने रखे जायेंगे औ हाउस को इस बात का अधिकार होगा कि उनके अन्दर परिवर्तन कर सके । मैं समझता हूं कि इस मसले की नजाकत और पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरा तरीक़ा नहीं हो सकता था । जिस वक्त कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर यह मसला आया तो हमने खाली इसके अन्दर जो क्लाजेज थे, दफ़ात थीं, उन के अन्दर अपने आपको महदूद नहीं रखा बल्कि जनरल उसूलों के ऊपर भी बहस की गयी और बहुत सी बातें कही गयीं । एक शिकायत हमारे मित्र प्रोफेसर शर्मा ने की कि देरी हुई । रिहेबिलिटेशन का जितना काम हुआ उसमें जगह जगह पर देरी लिखी है । मैं इस सम्बन्ध में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि कल जब आप के सामने बहस हुई तो यह कहा गया f लोगों को इस बात का हक़ फिर दुबारा दिया जाय कि वह अपने क्लेम्स दाखिल कर सकें । क्लेम्स जुलाई १९५० में मंगाये गये थे, आज उसको चार वर्ष से ज्यादा हो गये । [illegible] चाहते हैं कि क्लेम्स दाखिल करने के लिये लोगों को चार वर्ष से ज्यादा दिये जायें तो इस बात की शिकायत करना कि क्लेम्स के अदा करने में, उनकी जांच पड़ताल करने में, हर एक को पैसा देने में तीन साल का वक्त ज्यादा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है । मैं चाहता हूं कि इस चीज को इंसाफ़ की निगाह से देखा जाय कि क्यों देरी होती है, क्या कारण है, मिनिस्ट्री की खता कितनी है, मेरे अफ़सरान की खता है या और भी वजह है जिसकी वजह से देरी होती है । मेरा यह बराबर तजुर्बा रहा है कि पुरुषार्थी भाइयों के जो नेता हैं, जो उनका नेतृत्व करते हैं वह किसी चीज को वक्त पर होने नहीं देना चाहते हैं । हर एक चीज को बढ़ाना, किसी चीज की मियाद न मुक़र्रर करना, अपनी किसी तरह की जिम्मेदारी न समझना और जो कुछ जिम्मेदारी है वह सरकार की है मैं समझता हूं कि यह तरीका गलत है इन चीजों को देखने का । कुछ असूली चीजें हैं जो कही गयीं । मैं इस विधान के अन्दर जो दफ़ात हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा । मेरे सहकारी डिप्टी मिनिस्टर ने अपनी प्रारम्भिक स्पीच में उनकी काफ़ी चर्चा कर दी है, लेकिन कुछ असूली चीजें हैं जिन के बारे में मैं कुछ सफ़ाई करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारी दिक्कतें शायद दूर हो जायेंगी । पहला सवाल यह है कि कोई नये क्लेम लिये जायें या न लिये जायें । इस सभा को इसका पूरा इतिहास मालूम है । पिछली बार जब वेरीफ़िकेशन आफ़ क्लेम्स (सप्लीमेन्टरी) एक्ट पर बहस हो रही थी तो यह मसला पेश किया गया था कि क्लेम्स को दुबारा नये सिरे से मंगाया जाय । उस वक्त इस सभा ने उस को मंजूर नहीं किया था और आज भी मेरी यही राय है कि हम आम तौर से इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि क्लेम्स को दुबारा दाखिल करने का लोगों को हक़ दिया जाये । लेकिन कुछ [illegible]

पेश हुए सेलेक्ट कमेटी के सामने और सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफ़ारिश की है कि इस क़िस्म के जैनविन यानी असलियत रखने वाले क्लेम्स को जो वक्त पर न दाखिल किये जा सके हों उनकी तरफ़ गौर किया जाये और दूसरे उन लोगों के क्लेम्स के बारे में कि जो क्लेम दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद आये हैं उन पर ध्यान दिया जाये। मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि जो आखिरी तारीख के जिस वक्त तक कि लोगों को क्लेम दाखिल करने का हक़ था, उस तारीख के बाद यहां आये हैं उनके क्लेम्स को उसी तरह से जांच पड़ताल करके क़ायम किया जाये कि जैसे हमने दूसरे क्लेम्स के बारे में किया है। वह लोग कि जिन्होंने किसी गलती की वजह से क्लेम्स नहीं दाखिल किये उनको भी मैं मंजूर करने के लिये तैयार हूं लेकिन यह बात साफ़ करना चाहता हूं कि यह जो कहा जाता है कि बड़ी तादाद में क्लेम्स दाखिल नहीं किये गये, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। पश्चिमी पाकिस्तान से पिछली जनगणना के अनुसार कुल ४७ लाख आदमी आये हैं जिनके दस लाख से कम कुनबे बैठते हैं। क़रीब क़रीब साढ़े पांच लाख या पौने छै लाख आदमियों ने देहाती जमीनों के क्लेम्स दाखिल किये हैं, शहरी देहातियों में तीन लाख अस्सी हज़ार के क्लेम्स दाखिल किये, अगर इन दोनों को जोड़ा जाय तो क्लेम्स की संख्या नौ लाख से ऊपर बैठती है, मुमकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे आदमी हों जिनके जमीन के भी क्लेम्स हों और शहरी जायदाद के भी। इससे मालूम होता है कि हर दस आदमियों में से आठ और नौ आदमियों ने अपने क्लेम्स दाखिल किये हैं। मैं भी हिन्दुस्तान का बाशिन्दा हूं, मैंने कुछ वकालत भी की है और भूखा नंगा भी नहीं हूं, मैं आपके सामने यह ऐलान करना चाहता हूं कि न मेरे पास कोई मकान है और न ही मेरे पास कोई अपनी जमीन है और मैं समझता हूं इस सभा में बहुत सारे ऐसे मेम्बर होंगे जिनके पास न अपना कोई मकान होगा और न जमीन होगी। हिन्दुस्तान में हर एक आदमी के पास अपनी जमीन और अपना मकान नहीं है। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि दस में आठ और नौ लोगों ने अपनी जमीनों के या मकानों के क्लेम दाखिल किये हैं। मेरा ख्याल है कि अगर बाक़ी हिन्दुस्तान का औसत निकाला जायगा तो इतना ऊंचा औसत कभी नहीं बैठेगा, इतने फ़ीसदी लोगों के पास जमीन और मकान नहीं निकलेंगे। उसको जाने दीजिये लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि बहुत से लोगों ने अपनी जायदादों के क्लेम्स दाखिल नहीं किये हैं। हां, यह हो सकता है कि कोई आदमी ऐसे रह गये हों जिन्होंने किसी गलती या किसी और वजह से अब तक अपना क्लेम दाखिल न किया हो जिन को क्लेम दाखिल करने का हक था और जो दाखिल नहीं कर सके दो शर्तों के मातहत हम उनके क्लेम्स लेने को तैयार हैं अव्वल तो यह कि माकूल वजह दें इस बात की कि उन्होंने अब तक क्लेम क्यों नहीं दाखिल किया। दूसरे यह कि उनके पास लिखा हुआ कोई टाइटिल डीड, मिल्कियत का कागज होना चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि असल में वह पीछे कोई जायदाद छोड़ कर आये हैं। जो इन शर्तों को पूरा करेंगे हम उनके केसेज लेने को तैयार होंगे। ऐसे क्लेम क़ानून की डेफीनेशन के अन्दर तो नहीं आयेंगे, लेकिन सरकार को बिला क्लेम वालों को ग्रान्ट देने का हक़ है, मैं उन्हें उसी क्लेम स्केल पर ग्रांट दूंगा जैसे कि और दूसरे क्लेमेंट्स को कम्पैनसेशन या रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जायगी मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई गुंजायश शिकायत की नहीं रहती है। हमारी सेलेक्ट कमेटी ने इस बात को महसूस किया है कि अगर ऐसा

[श्री ए० पी० जैन]

कर दिया जाय तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी ।

एक सवाल मकानों के बेचने के बाबत उठाया गया । उनको मुनासिब क़ीमत पर अलाट करने का, मैं जानता हूं कि यह बहुत अहम मसला है । सभा में कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो मुझ से ज्यादा इस मसले की अहमियत को महसूस करता होगा । मंत्री की हैसियत से मैंने इस बात की ज़िम्मेवारी ली है कि लोगों को बसाऊं, कोई आदमी अगर मकान के अन्दर बैठा हुआ है और मैं उसको वहां से उखाड़ कर फैंक देता हूं किसी दूसरी जगह पर तो खाली में उसे मकान से महरूम ही नहीं करता बल्कि मैं उसको रोज़गार से भी महरूम करता हूं, आसपास दुकान आदि से जो कुछ कर लेता है, इसलिये मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं खाली उसको छत ही न दूं बल्कि मैं उसको रोज़गार की सुविधा भी दूं । मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी ज़िम्मेदारी को बढ़ाऊं । चुनांचे मैं इस बात की अहमियत को पूरे तौर से महसूस करता हूं कि जो आदमी जहां पर बैठा है मैं पूरी इस बात की कोशिश करूं कि उसको वहीं पर बना रहने दूं और उसको वहां से नहीं हटाऊं ।

चुनांचे मोटे तौर से मैंने जिस स्कीम को सोचा है वह यह है कि जहां तक गवर्नमेंट के बनाये हुये मकानों का ताल्लुक़ है, मैं उन मकानों को एक मुनासिब क़ीमत पर, क्या मुनासिब क़ीमत है उसका मैं आगे चल कर चर्चा करूंगा उन लोगों को दूं जो उन मकानों के अन्दर बैठे हुये हैं । जिनके क्लेम्स हैं उनके क्लेम्स में उनको एडजस्ट कर दें और जिनके क्लेम्स नहीं हैं उनको भी मालिक बना दें और वाजिब किस्तों में उन मकानों की क़ीमत हम उनसे लकरवसूल लें । एक बात है, अगर कोई किसी हालत में भी मकान लेने को तैयार नहीं है तो मुझको बहुत तकलीफ के साथ उसका कोई दूसरा प्रबन्ध करना होगा । लेकिन मैं उन मकानों पर जिन में कि पुरुषार्थी बैठे हुये हैं किसी दूसरे आदमी की मिल्कियत नहीं क़ायम कर सकता हूं, जिस वक्त तक कि जो लोग उन में बैठे हुये हैं वह लेना चाहते हैं ।

इस के साथ एक और सवाल उठाया गया और मुझे कल इस बात को देख कर दुःख हुआ कि एक आनरेबुल मेम्बर ने एक बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेबुनियाद बयान दिया कि तीन बार लाठी चार्ज किया गया नीलाम के दौरान में । कल ही मैंने सवेरे एक बयान दिया था कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया है और यह बिल्कुल गलत बात है । इसी के ऊपर जो ऐडजर्नमेन्ट मोशन दिया गया वह रद्द किया गया था । लेकिन इस भवन में हर एक को आज़ादी है कि वह जो चाहे कहे, ठीक कहे या गलत कहे । उन्होंने फिर इस बात को कह दिया । बहरहाल यह उनके लिये शायाने शान नहीं था कि यहां पर कोई गलतबयानी करें ।

दिल्ली के अन्दर २५० मकान ऐसे हैं जो हमने बेचने के लिये बनाये हैं, अलाटमेन्ट के लिये नहीं । इस वक्त वह हमारे पास मौजूद हैं । कुछ और दूसरे मकान हैं जिन को हम शायद इसी तरह से मुन्तक़िल करें, उन मकानों के अन्दर कोई बैठे हुए नहीं हैं और वह बहुत दिनों से खाली पड़े हुए हैं । मैंने इस बात को तय किया कि अब उनको मुन्तक़िल किया जाय और मैंने बेहतरीन तरीक़ा यह समझा कि रिफ्यूजी भाइयों को इस बात का मौक़ा दिया जाय कि वह नीलाम के अन्दर उन मकानों

को खरीद लें। इन नीलामों के अन्दर कोई भी आदमी जो रिफ्यूजी नहीं है बिड देने का हक़दार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पर क्यों शोर गुल है, इस पर क्यों शिकायत है। किसी भी आदमी को इन मकानों के अन्दर हक़ हासिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम उसको बाज़ारू क़ीमत पर बेच दें और कुछ मुनाफ़ा हो, तो वह कहां जाता है? क्या वह पैसा सरकार की जेब में जाता है? नहीं। वह मकानात कम्पेन्सेशन पूल का हिस्सा है। इसलिये जो पैसा आता है वह इस कम्पेन्सेशन पूल के अन्दर ही रहता है। वह पुनर्वासी भाइयों के अन्दर ही बटेगा। तब यह शोर गुल क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि यह शोर गुल वेस्टेड इन्टरेस्ट की तरफ़ से है। वेरीफ़ाइड क्लेम्स की संख्या ३ लाख ८० हज़ार है। उसमें से १२ हज़ार क्लेम यह तेरह हज़ार भी हो सकते हैं, और ग्यारह हज़ार भी हो सकते हैं ऐसे हैं कि जिनकी क़ीमत ५०,००० से ज्यादा है। कल मेरे दोस्त श्री नन्दलाल शर्मा जिस समय बोल रहे थे उस वक्त, जैसी कहावत है कि बिल्ली थैले में से कूद कर निकल भागी, तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ने यह क़ायदा बनाया है कि नक़द रुपया तो हम देंगे सिर्फ ८,००० और अगर कोई जायदाद की शक्ल में ले तो हम ५०,००० रु०, तक देंगे उन्होंने कहा मैं उन्हीं के लफ्ज़ दुहरा रहा हूं, "भागते भूत की लंगोटी भली।" जो मिले ले लो इसलिये ये ऊंचा बिड दे रहे हैं। जनाब वाला, इसका इतिहास यह है कि हमने पहले सब के लिये ज्यादा से ज्यादा ८,००० रुपये देना तय किया था। बड़े क्लेम वालों की तरफ़ से शोर हुआ। उन्होंने कहा कि जिन के बड़े क्लेम्स हैं उन को ८,००० रुपया में क्या होता है? हमारे रिहैबिलिटेशन आफिसर्स श्रीनगर में मिले। याद रखिये कि उस के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आफिसर्स सिर्फ दो तीन ही थे, ज्यादातर राज्यों के रिहैबिलिटेशन आफ़िसर्स थे, और उनका कम्पेन्सेशन स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जायदाद की शक्ल में लेना चाहे तो उसकी लिमिट ५०,००० रुपये होनी चाहिये। मैंने इस को मंजूर किया। मैं नहीं कहता कि आप लाजमी मेरी बात माने। मगर इसको एक दूसरे नुक्ते निगाह से देखिये। ३ लाख ६८ हज़ार आदमी ऐसे हैं जिनके क्लेम्स ५०,००० रुपये से कम के हैं। उन के लिये हमने नक़द और जायदाद की रक़म बराबर रक्खी है सिर्फ बारह हज़ार ऐसे हैं कि जो नक़द चाहते हैं तो उनको ८,००० रुपये मिलेगा और जायदाद की शक्ल में लेना चाहें तो उन को ५०,००० रु० तक मिल सकता है। अगर यह १२ हज़ार आदमी हमारे मकानों को १३ या १४ हज़ार लेते हैं तो क्या उसको रोक दिया जाय? इन लोगों के काफी बड़े क्लेम हैं। अभी तो पंडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे कि वह बड़े आदमियों के लिये नहीं कहते हैं, बल्कि छोटे आदमियों के लिये कहते हैं, तो अगर कोई ६,००० रुपये का मकान १३,००० रुपये में लेता है तो वह ७,००० रुपये जो ज्यादा आयेगा, वह कहां जायेगा? मंत्री की जेब में जायेगा? देशमुख की जेब में जायेगा या उन छोटे क्लेमेन्ट्स की जेब में जायेगा जो गिनती में ३ लाख ६८ हज़ार हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस पर शोर गुल होता है। इतनी बातें कही जाती हैं, बनिया जहनियत कही जाती है, कहा जाता है कि काट छांट की जाती है। सीधी बात है कि जो लोग ज्यादा रुपया पाने वाले हैं वही जायदाद को खरीद रहे हैं और दूसरे आदमी उससे नफ़ा उठाने वाले हैं। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता हूं। हम इस तरह के मौक़े से ज़रूर फ़ायदा उठायेंगे ताकि उन लोगों की मदद करने के लिये जिन को आज रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है कुछ रुपया

[श्री ए० पी० जैन]

वसूल करें ।

जो निकासी ४०० मकान छोटे छोटे कस्बों में हैं, उनके बारे में हम ने तय किया है कि वह ऐलाटमेन्ट से दिये जायें । उन में कोई नीलाम का सवाल नहीं है । बाकी बड़े बड़े शहरों के मकान हैं उन में जो कम क़ीमत के हैं उन को भी ऐलाटमेन्ट से दिया जायेगा, लेकिन जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी क़ीमत के मकान हैं, जिन के अन्दर काफ़ी अच्छे आदमी बसते हैं, जो कि अपनी हिफ़ाजत कर सकते हैं, उनके बारे में हम को हक़ होगा कि वह दिये जायें, चाहे नीलाम से चाहे टेंडर से । उनको हक बाजारू कीमत पर बेचेंगे ।

जहां तक दुकानों का ताल्लुक है, इसके पीछे एक बड़ी राय है पुरुषार्थी भाइयों की और उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ की, कि दूकानों को और इन्डस्ट्रियल कन्सर्न को दूसरे तरीक़े पर रखा जाय क्योंकि दूकान कारोबार को चलाने वाली चीज़ है जिसमें कि एक व्यापार दृष्टिकोण होता है । दुकानों के लिये एक अलाहदा असूल होगा, और मेरी अपनी राय है कि उनको भी मुक़ाबले की क़ीमतों पर दिया जाय ।

अब रहा सवाल यह कि क़ीमतें कैसे मुक़र्रर की जायें ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां दूकानों का ताल्लुक है, जो लोग दूकानों के अन्दर अपने कारोबार कई तरह से करते हैं, उनको आप बेदख़ल तो नहीं करेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : बेदख़ल तो नहीं करेंगे क्योंकि आप ने रखा है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाय ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मगर दो बरस बाद तो वह बेदख़ल हो सकते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : आप जरा ठहर जाइये, मेरे पास वक्त थोड़ा है और बातें काफ़ी हैं ।

अब सवाल यह है कि कीमतें कैसे रक्खी जायें । जहां तक उन जायदादों का ताल्लुक है, जो टेंडर से दिये जाते हैं या नीलाम से दिये जाते हैं, उनके लिये कीमत का सवाल ही पैदा नहीं होता । यह सवाल उन जायदादों के लिये पैदा होता है जिन को ऐलाटमेन्ट से दिया जाता है । मुझ से कहा गया कि जितना पैसा खर्च हुआ, उतने ही पर दो । 'नो प्राफिट नो लास' बेसिस पर दो । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस को समझने की काफ़ी कोशिश की । 'नो प्राफिट नो लास" बेसिस के माने क्या हैं ? क्या हर एक मकान की कीमत अलाहदा लगाई जाय और तब 'नो प्राफिट नो लास' बेसिस पर दिया जाय ? या एक ग्रुप आफ हाउसेज यानी मकानों के एक झुंड जो कि एक ही वक्त में बने और एक इलाके में हों, उनकी कीमत लगाई जाय या ? कि एक टाउनशिप या कालोनी के मकानों की कीमत नो प्राफिट नो लास बेसिस पर लगाई जाय ? या एक शहर या एक राज्य के मकानों की कीमत लगाई जाय ? या तमाम देश के मकानों की कीमत एक 'नो प्राफिट नो लास' पर लगाई जाय ? जो लोग नो प्राफिट नो लास की बात करते हैं उनको यह देखना होगा कि इस के माने क्या हैं । अभी तो यह होता है कि एक मकान अगर नीलाम हुआ तो वह एक कीमत पर नीलाम होता है, दूसरा मकान इसी तरह का दूसरी कीमत पर नीलाम होता है । अगर मुख्तलिफ वक्त में एक ही क़िस्म के मकान बनाये जावें तो कभी टेन्डर १० परसेन्ट कम आयेगी और कभी १० पर सेन्ट ज्यादा आयेगी । अब अगर एक ग्रुप के मकानों की कीमत भी लगाई जाय तो कभी तो वह कम आयेगी और कभी ज्यादा आयेगी । यह देखा जाता है कि अगर अलग

अलग लोकैलिटीज में मकान बनाये जावें तो किसी में तो जायदाद की कीमत बढ़ जाती है और किसी में नहीं बढ़ती । इस तरह से उनमें फरक पैदा हो जाता है ।

1 P.M.

आप दिल्ली के सवाल को ही लीजिये । दिल्ली में कालका जी है, दिल्ली में ही राजेन्द्र नगर है और दिल्ली में ही मालवीय नगर है । कालका जी और मालवीय नगर में जायदादों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, उतनी ही हैं । कुछ बढ़ी भी हैं लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ीं । इसलिये नहीं बढ़ी हैं कि यह कालोनीज शहर से दूर हैं । राजेन्द्र नगर और पटेल नगर, वहां पर जमीनों की कीमतें दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी हो गयी हैं । यह कौनसा इंसाफ है कि मैं आज रिफ्यूजीज से वही कीमत लूं राजेन्द्र नगर में और वही कीमत लूं कालका जी के अन्दर ? अभी मेरे मित्र ठाकुर दास जी ने कहा था कि पलवल के अन्दर बहुत गरीब आदमी हैं जिनकी दुकानें नहीं चलतीं । पलवल है, खन्ना है, रिवाड़ी है, रेन्धेर है, सूरत है, और भी जगहें हैं जहां पर जितना खर्च हुआ है उतने की आज जायदाद नहीं है । तो क्या यह इंसाफ का तकाजा है कि जो लोग, अच्छी जगह में बैठे हुए हैं और जिनके पांच हजार के मकान की आज कीमत दस हजार, बारह हजार और १५ हजार हो गयी है उनसे भी पांच हजार लिया जाय, और जिनके पांच हजार के मकान की आज कीमत ढाई हजार या दो हजार रह गयी है उनसे भी पांच हजार लिया जाय । मैं समझता हूं कि यह गैर इन्साफ है और अन्याय है । मैं चाहता हूं कि मुनासिब तरीके से कीमत लगाई जाय ताकि रिफ्यूजी और रिफ्यूजी के बीच में इंसाफ हो । इसलिए मेरी यह राय है कि पलवल के मकानों की कीमत को घटाया जाय और राजेन्द्र नगर के मकानों की कीमतों को बढ़ाया जाय ।

मैं देखता हूं कि हमारे रिफ्यूजी भाइयों के अन्दर एक बात पैदा हो गयी है । वह यह समझते हैं कि जितनी जबान में ताकत है, जितनी पैर में ताकत है, जितनी कलम में ताकत है, जितना वह अखबारों में लिख सकते हैं और जितना वह डिमांस्ट्रेशन कर सकते हैं उसी से चीजें हल हो जायेंगी । लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जबान की ताकत, से, पैर की ताकत से, कलम की ताकत से चीजें हल नहीं होंगी बल्कि इंसाफ के साथ चीजें हल होंगी ।

Sir, I am absolutely in the hands of the House. I am not at all keen to speak, but if the House wants .....

Mr. Chairman: Perhaps the Second Reading will be finished quickly and then he may speak on the Third Reading.

Pandit Thakur Das Bhargava: It will be better if the hon. Minister is allowed to speak now, because then perhaps many motions might not be moved.

Mr. Chairman: If that is the sense of the House, I have no objection. But how much time shall I allow?

Pandit Thakur Das Bhargava: The point is some of these amendments may be withdrawn.

Shri A. P. Jain: I will take about ten minutes.

Mr. Chairman: Very well. He may go on.

श्री ए० पी० जैन : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं यह नहीं चाहता कि हर कालोनी में बाजारी कीमत वसूल की जाय । लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुख्तलिफ कालोनीज के अन्दर हमारे जो मुख्तलिफ मकानात हैं उनमें कुछ निस्बत कायम की जाय । जहां पर कीमत नहीं बढ़ी है वहां पर वही रखी जाय, जहां पर कम हुई है वहां कम की जाय, जहां पर बढ़ी है वहां बढ़त का अगर १६ आना न लिया जाय तो कम से कम आठ आना तो

[श्री ए० पी० जैन]

लिया जाय। इस सिलसिले में मेरे ऊपर दबाव डाला जाता है, इसी सिलसिले में डिमांस्ट्रेशन किये जाते हैं मैं इसके खिलाफ़ हूं।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कोई इम्तियाजी अख्तियारात अपने हाथ में नहीं रखना चाहता। मुझे एक मिनट के लिए भी यह तमन्ना नहीं है कि मैं अपने कलम से हुकम लिखूं। इस कानून में यह असूल रखा है कि हर एक आदमी को अपनी बात कहने का बराबर हक मिले। जब एक मर्तबा फैसला हो जाय तो एक अपील होनी चाहिए। और जो हुकम हो सब को मानना होगा मकान की क़ीमत पहले इंजिनियर मुकर्रर करते हैं और रिपयूजीज को इस बात का मौका दिया जायगा कि वह अपनी बात को उनके सामने रख लें। उसके बाद जब कीमत मुकर्रर होगी तो एक अपील का मौका दिया जायगा। उस अपील का जो फैसला होगा वह सब पर काबिले पाबन्दी होगा। उसमें मिनिस्टर का कोई दखल नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस तमाम मामले को क्वासी जूडिशियल बना दिया जाय ताकि सब के साथ बराबर इंसाफ हो न कि यह कि जिसकी जबान में ताकत है, जिसके पैर में ताकत है या जिसकी कलम में ताकत है वह सब चीज ले जाय। कुछ लोग जिन के पास ताकत है वे अपने एम० पीज० के जरिये मेरे ऊपर दबाव डालते हैं लेकिन मैं इस चीज को नहीं चलने दूंगा। यह मुझे इस के बारे में अर्ज करना था। हमने जो वेल्युएशन कराया है उसमें यह असूल रखा है कि जमीन की बाजारी कीमत रखी जाय और सुपर स्ट्रक्चर की वह कीमत रखी जाय जो कि खर्च हुई है। अगर इन कीमतों का उन कीमतों से मुकाबला किया जाय जो नीलाम में मिली है तो मेरा ख्याल है कि यह कीमत उससे ४० या ५० फीसदी कम होगी।

एक सवाल यह उठाया गया है। इस कानून में यह रखा है कि जिन जायदादों को हम एक्वायर करेंगे, जो कि कम्पेन्सेशन पूल में शामिल हैं, उनके ऊपर जो कोई रहन होगा या कोई चार्ज होगा तो वह कायम नहीं रहेगा। इसके लिए कुछ आपत्ति जाहिर की गयी है। इसके लिए मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि हम जो कायदे बनायेंगे जायदादों को हासिल करने के लिये उनमें हम इस बात को तशरीह कर देंगे कि कोई जायदाद कि जिसके ऊपर किसी किस्म का बार है, उसको हम उस वक्त तक एक्वायर नहीं करेंगे जिस वक्त तक कि वह बार अदा न कर दिया जाय। कोई जायदाद जिसके बारे में दफा १६ एड-मिनिस्ट्रेशन आफ इवैक्वी प्रापर्टी के मातहत मामला चल रहा है उसको हम उस वक्त तक एक्वायर नहीं करेंगे जब तक कि उसका फैसला न हो जाय। कोई जायदाद जिसके बारे में कस्टोडियन के सामने या कम्पेटेंट अफसर के सामने मामला चल रहा हो, उसको हम उस वक्त तक मुंतकिल नहीं करेंगे जिस वक्त तक कि वह मामला फैसल न हो जाय। लैंड एक्वीजीशन का यह असूल है कि जो जायदाद ली जाती है वह बिल्कुल साफ होती है, उसके बारे में किसी किस्म का टंटा नहीं होता। जहां हम इस बात की पूरी अहतियात करेंगे कि कोई जायदाद जिस पर बार हो उसको न लिया जाय, वहां जो जायदाद हम लेंगे उस पर कोई बार नहीं रखेंगे। मैं समझता हूं कि इससे मेरे दोस्तों को काफी तसल्ली हो जायगी।

एक सवाल मुकन्द लाल जी ने उठाया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर कुछ ऐसे आदमी मौजूद हैं कि जिनका कर्जा चाहिए था उन लोगों पर जो कि पाकिस्तान चले गये। ये दो किस्म के कर्जे थे। एक तो किफालती। जो किफालती कर्जे हैं उनके लिए तो हमने एक कानून बनाया था, सेपेरेशन आफ इवैक्वी

इंटरेस्ट। उसमें हमने यह रखा था कि कम्पोजिट प्रापर्टी किसको माना जाय। जिनके ऊपर किसी लोकल आदमी का रहन हो। उनके फैसले हो रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

जिनके सादे कर्जे थे वे दफा २२ के अन्दर कस्टोडियन के यहां रजिस्टर हो गये हैं और कस्टोडियन को इस बात का अख्तियार है कि वह इन कर्जों की अदायगी कर सके। इसके लिए हम काफी अहतयात रखेंगे कि पेश्तर इसके कि जायदाद इधर से उधर हो इस बात का इन्तिजाम हो कि इन कर्जों का फैसला हो जाय। अब किस तरह इनका फैसला हो इस पर हम गौर कर रहे हैं। मुमकिन है इसके लिए हमको कोई कानून लाना पड़े। मैं मेम्बर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में जो उन्होंने अमेंडमेंट पेश किया है उसकी जरूरत नहीं है।

अब मैं आखिरी सवाल पर आता हूं जो कि सबसे बड़ा सवाल है। वह है कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाने का। इसमें दो पहलू हैं। एक वह है जो कि सरकार का नजरिया है। दूसरा वह है कि जो कुछ मैंने किया। मैं भवन के सामने कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं। सब लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मुआवजे के मसले पर दो राय थीं। एक काफी मजबूत राय थी कि दोबारा बसाने पर जो कुछ खर्च किया जाय वह ठीक है लेकिन मुआवजा न दिया जाय। मैं इस राय का था कि मुआवजा दिया जाय। लेकिन मुआवजे के अन्दर रिहैबिलिटेशन का प्रिंसिपल रखा जाय, यानी सब को एक हिसाब से न दिया जाय। छोटे को मुकाबले में ज्यादा बड़े को मुकाबले में कम। मुझे खुशी है इसकी कि मेरी राय को क़बूल किया गया और यह मुआविजे की स्कीम आयी। मुझसे जो कुछ कोशिश हो सकती थी जो मेरी ताकत थी वह मैंने लगायी और मैं जिस हद तक कामयाब हुआ वह आज इस हाउस के सामने है। पहली किस्त दी जायगी निकासी की जायदाद से और उस ८५ करोड़ पये की जायदाद और कर्जे से कि जो दुबारा बसाने के ऊपर खर्च हुआ है। अब सवाल है उसको बढ़ाने का। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पुरुषार्थी भाई मुसीबतजदा हैं और जितनी और जिस हद तक इनकी मदद की जाय वह ठीक होगा लेकिन साथ ही साथ और एक दूसरा नजरिया भी है। अभी हाल में एक डेपुटेशन भी मिला था प्राइम मिनिस्टर से और उस डेपुटेशन में इस सभा के कुछ सदस्य भी शामिल थे, उसके बारे में कुछ सुचेता जी ने चर्चा भी की। बहरहाल नजरिया यह है कि जो टैक्स वसूल होता है वह तो ज्यादातर छोटे छोटे आदमियों से वसूल होता है, बड़ा आदमी कुछ रुपया इनकम टैक्स की शक्ल में या सुपर टैक्स की शक्ल में देता है लेकिन ज्यादा टैक्स तो छोटे छोटे आदमियों से वसूल होता है और यह बात क़बूल नहीं की जा सकती कि छोटे गरीब किसानों और मजदूरों से जो पैसा इकट्ठा किया जाय उससे काफ़ी जायदाद वालों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाय, मेरे तमाम साथी और सहकारी मिनिस्टर आदि को आप से हमदर्दी है और सब चाहते हैं कि जहां तक रिहैबिलिटेशन के ऊपर खर्चे का सम्बन्ध है उसके अन्दर कोताही न की जाय और वह सहायता कार्य आगे भी जारी रहे। बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्चा हो। जो जवान हैं उनके वास्ते दस्तकारी की शिक्षा देने का कार्य जारी रक्खा जाय, या अगर कोई ऐसे रह गये हैं जिनके वास्ते अभी तक मकानों का प्रबन्ध नहीं हो सका है तो उनके वास्ते मकानों का प्रबन्ध किया जाय और जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार करने की सुविधा दी जाय ताकि वह अपना खर्च चला सकें, हम चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन

[श्री ए० पी० जैन]

के कार्यों को जारी रक्खा जाय जब तक कि समस्या पूरी तौर से हल नहीं हो जाती। लेकिन जो जायदाद के खिलाफ़ जायदाद या नक़दी देने का जो सवाल है उस पर और सरकारी रुपया न लगाया जावे। हर कमिनिस्टर की ताक़त महदूद होती है। मुझ से जो कुछ हो सकता था वह मैंने किया। आज मैं सरकार की तरफ़ से कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि पूल के अन्दर कोई बढ़ोत्री ही सकती है मगर मैं अपने ऊपर भी कुछ विश्वास रखता हूं। जहां कि मैं सरकार से आयन्दा इस बात का तकाज़ा नहीं कर सकता कि जो काफ़ी जायदाद वहां पर छोड़ आये हैं उनके नुक़सान की पूर्त्ति के वास्ते और रुपया दिया जाय, वहां ज्यों ज्यों मौक़ा होगा उसके मुताबिक़ उन छोटे और गरीब आदमियों की इमदाद के लिये चाहे वह रिहैबिलिटेशन की शक्ल में हो चाहे वह मुआविज़े की शक्ल में हो, जिनका थोड़े पैसे से काम चलता है जिनके छोटे छोटे झोंपड़े और जायदादें थीं उनका मामला फिर दुबारा सरकार के सामने रखूंगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, अगर हार मानने वाला होता तो शायद यह मुआविज़े का क़ानून ही नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे आदमियों का मामला जिनके दो हज़ार, चार हज़ार या पांच पांच हज़ार के क्लेम हैं, जब भी कोई मुनासिब मौक़ा आयेगा, मैं फिर कैबीनेट के सामने पेश करूंगा लेकिन मैं आज इस पोज़ीशन में नहीं हूं कि वायदा करूं कि सरकार फौरन कोई पैसा दे सकती है या कोई पैसा देगी। लेकिन मैं दरवाज़ा बन्द नहीं होने दूंगा और जहां तक छोटे आदमियों की भलाई का सम्बन्ध है मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि कमेटी ने सिफ़ारिश की है कि वह रुपया जो कि मेंनटनेंस अलाउन्स की शक्ल में औरतों और बूढ़ों को दिया गया उसे पूल से वसूल न किया जावे। मैं खुश हूं कि गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर रज़ामन्द कर सका हूं कि उस पये को कम्पेन्सेशन पूल में से वसूल न किया जाय। यह छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे एक बात सिद्ध होती है कि दरवाज़ा बन्द नहीं हुआ और अगर कोई मुनासिब मांग हो, कोई ऐसी मांग जो छोटे आदमियों से या गरीब आदमियों से ताल्लुक रखने वाली हो तो उसके लिये एक गुंजायश है और मैं आपको यक़ीन दिलाता कि मैं उसके लिये पूरी कोशिश करूंगा। मैं जनाब का मशकूर हूं कि जितना वक्त मुझे मिलना चाहिये था उससे ज्यादा समय आपने मुझे दिया। इस वक्त जितना मुझे अर्ज़ करना था वह सब मैं अर्ज़ कर चुका।

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill to provide for the payment of compensation and rehabilitation grants to displaced persons and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: We shall now go clause by clause.

Clause 2— *(Definitions)*

Mr. Chairman: There are two amendments in the Order Paper. Shri Nand Lal Sharma: absent. There is no other amendment to this clause. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3— *(Appointment of Chief Settlement Commissioner)*

Mr. Chairman: Clause 3. There is no amendment to clause 3. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4— *(Application for payment of compensation)*

Mr. Chairman: Clause 4.

Shri N. B. Chowdhury (Ghatal): I beg to move:

In page 3, line 29, *after* "Gazette" *insert* "and publication in all dailies in India".

This is a very simple amendment. I want that the dates by which the various categories of displaced persons are to submit their applications should not only be notified in the Official Gazette, but also in all the dailies in India. Because, we know that in our country, very few people get these Gazettes and very few people can read newspapers even. But, if it is published in the newspapers, it would have wider circulation and somehow or other, due to wide publicity, displaced persons who are scattered all over the country, may come to know of it. We feel that there is necessity for such wide publicity through publication in all the dailies of India. Otherwise, they would not be able to know that. We expect that the Government would do better to send intimation to such persons because they have got a list of all displaced persons who have verified claims. Government says that it is not feasible. If the Government is not capable of sending intimation to all persons concerned, it should at least be published in all the dailies. That is my point.

Mr. Chairman: May I know the reaction of the hon. Minister?

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri J. K. Bhonsle): Actually, it is not necessary to put this particular clause in the Bill. In the past we have been giving a lot of publicity, and we shall give more publicity, as is being done, in every possible manner.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Is it published in any of the journals, newspapers .....

Shri J. K. Bhonsle: Yes, we publish it in all the newspapers, and over the radio, and then also through the Official Gazette, and through all camp officials in various States.

Mr. Chairman: So, shall I put it? It is not necessary.

Shri N. B. Chowdhury: I am not pressing the amendment.

Mr. Chairman: There is no other amendment. So I put clause 4 to the House.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5— *(Determination of public dues by Settlement Officers).*

Shri N. B. Chowdhury: I have an amendment, No. 17. I want to say a few words.

Mr. Chairman: He wants to move the amendment, or simply to say a few words?

Shri N. B. Chowdhury: I want to move amendment No. 17.

I beg to move:

In page 4, line 27, *after* "if any" *insert* "except money granted on account of maintenance allowance and scholarships".

In clause 5, the question of determination of public dues by Settlement Officers has been dealt with. Various kinds of public dues have been defined in this Bill. And here I want to exclude from public dues the money granted on account of maintenance allowance and scholarships. It has just now been announced that certain kinds of maintenance allowance would not be adjusted against the compensation scheme. We want that it should not be confined to certain old people only, but it should be extended further. At least in the case of the students who are

[Shri N. B. Chowdhury]

poor students, refugee students, who came over to India and were given certain stipends or scholarships, their guardians should not be asked to adjust these amounts against the claims of compensation, because we think that these students were put to a great many difficulties, and under such difficult circumstances these scholarships and stipends were given to the refugee students. So, we think that the Government should condone it. They should write off the amount that was given by way of scholarship to the refugee students. After all, it is not due to their fault that they had to apply for such scholarships. It was under very special circumstances, circumstances for which the leaders of the ruling party were responsible, and so, taking everything into consideration, we urge upon the Government to write off this amount, and not to adjust it against the claims compensation to which the guardian of such student may be entitled.

Shri A. P. Jain: This covers several points. One is the amount which has been paid as maintenance allowance. So far as that is concerned, we have not been recovering it, and we do not propose to recover it.

Then comes the question of scholarships by which I believe the hon. Member means educational loans. Now, so far as the educational loans given to students who had no claims or whose guardians had no claims are concerned, we have written them off, but so far as educational loans given to students who had a claim or whose guardians had a claim are concerned, I am afraid I cannot accept the position taken up by the hon. Member.

Shri N. B. Chowdhury: If it is a very small claim?

Shri A. P. Jain: Well, perhaps. I cannot accept that in this broad way, but I will be quite prepared to consider the cases where the amount of the claim is small and the loan is big. But that will be by way of some sort of relief given under section 11. But I am afraid I cannot accept the broad proposition of writing off all the educational loans recoverable from persons who had claims or whose guardians had claims.

Shri N. B. Chowdhury: I press this amendment.

Mr. Chairman: The question is:

In page 4, line 27, *after* "if any" *insert* "except money granted on account of maintenance allowance and Scholarships".

The motion was negatived.

Mr. Chairman: There is no other amendment. So I put the main clause.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill

Mr. Chairman: There is one new clause 5A by Sardar Lal Singh, but he is absent. So, I go to clause 6. There is no amendment to clause 6. So, I put it to the House.

The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7.— (*Determination of the amount of Compensation*).

Shrimati Sucheta Kripalani: I want to move my amendment No. 3.

मैं यह संशोधन क्लाज ७ के अन्दर पेश करना चाहती हूं कि इस में एक एक्स्प्लेनेशन जोड़ दिया जाय । मैं प्रस्ताव करती हूं :

In Page 6, *after* line 12, add—

"*Explanation.*—When the claim of co-sharer of the joint family has either been verified jointly or in the name of the *Karta* the amount of such compensation shall be determined separately in respect of each co-sharer of the family in respect of urban immovable property left in West Pakistan."

मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब कि मंत्री महोदय ने कहा कि जब तक वह इस कुर्सी पर रहेंगे तब तक कोई और प्रेशर उन के ऊपर नहीं चलेगा। सिर्फ इंसाफ का ही प्रेशर होगा। तो जो ऐमेन्डमेंट मैं ने दिया है वह सिर्फ इंसाफ के ही ख्याल से दिया है। इस लिये मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय इस को जरूर मंजूर करेंगे।

जब कम्पेन्सेशन की स्कीम शुरु हुई थी और लोग अपने क्लेम्स की दरख्वास्तें भेज रहे थे तब सरकार की तरफ से साफ नहीं बताया गया था कि ज्वाइंट फैमिली क्लेम्स किस ढंग से दिये जायेंगे। कुछ लोगों ने ज्वाइंट फैमिली के अन्दर भी अलग अलग ऐप्लाई किया था और कहीं सिर्फ एक साहब ने, जो कि कर्त्ता थे, ऐप्लाई किया था। तो कुछ फैमिली में तो सिर्फ एक आदमी अर्थात कर्त्ता को ही कम्पेन्सेशन मिल जायेगा पर जिन्होंने ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अलग अलग क्लेम्स दिये हैं उन को अलग अलग कम्पेन्सेशन मिलेगा। दरअस्ल जहां पर एक आदमी ने ही क्लेम दिया है उस को हानि होगी क्योंकि उस का कुल क्लेम ८,००० रुपये से ज्यादा नहीं होगा। मैं जानती हूं ऐसी फैमिली हैं जिस में ७, ८ लोग शेअरर्स हैं पर एक ने ही ऐप्लाई किया है तो उस को सब के लिये सिर्फ ८,००० मिल जायेगा। और अगर किसी फैमिला में मेम्बर्स हैं और उन्होंने अलग अलग ऐप्लाई किया है, तो उन को ज्यादा रुपया मिलेगा।

जब हम लोगों ने मंत्री महोदय के सामने यह बात रक्खी तो उन्होंने इस को मंजूर किया कि इस में बेइंसाफी हो सकती है और इस को ठीक करना चाहिये। लेकिन उन्होंने हमारे सामने यह दिक्कत रक्खी कि अगर ज्वायंट फैमिली की तरफ से नई ऐप्लीकेशन ली जायेंगी तो काम बहुत बढ़ जायेगा। इस लिये मैं ने यही ठीक समझा कि क्लाज ७ में यह एक्स्प्लेनेशन जोड़ दिया जाये, ताकि जब आफिसर्स क्लेम्स को सेटिल करने लगेंगे उस वक्त वह देख लें कि कौन सा क्लेम कर्ता के नाम से आया है और कौन सा अलग अलग नाम से आया है। इस को देख कर ही वह उन अलग अलग क्लेम्स को सेटिल करेंगे। इस तरह से जो आज दिक्कत महसूस हो रही है वह भी न होगी और इस कम्पेन्सेशन स्कीम में जो बेइंसाफी होने की आशंका है वह भी दूर हो जायेगी।

मुझे आशा है कि इस बात को उचित समझ कर हमारे मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को मंजूर कर लेंगे।

श्री ए० पी जैन : श्रीमती सुचेता कृपालानी ने जिस असूल को बतलाया उस में तो कुछ ताकत है क्योंकि यह वाकया है कि कुछ लोगों ने तो संयुक्त परिवार के क्लेम एक जगह दिये, कुछ ने अलग अलग दिये और इस में जरूर आपत्ति पदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि उन को किस तरह से ठीक किया जाये। मेरा अपना दिमाग कुछ इस तरफ काम कर रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी फैमिली का स्टेटस था वही यहां रहे, अगर वह संयुक्त था तो, उस को संयुक्त माना जाये और अगर वह अलग अलग थे तो उन को अलग अलग माना जाये और अगर यहां पर उन्होंने संयुक्त

[श्री ए० पी० जैन]

क्लेम दिया है तो ठीक है ही, लेकिन अगर उन्होंने अलग अलग क्लेम दिया है तो उन क्लेमों को एकत्र कर लिया जाये और मुआवजा इस तरह से दिया जाये कि जैसे संयुक्त परिवार को दिया जाता है ; मगर इस के साथ साथ एक सवाल और पैदा होता है कि जहां संयुक्त परिवार के अन्दर एक से अधिक कुटुम्ब हों और उन को भी उसी दर से मुआवजा दिया जाये जैसा कि अलग अलग परिवार को दिया जाता है तो आर्थिक रूप से उन की दिक्कत हल नहीं होती है । जो कायदे बनायेंगे उन में यह रखा जायेगा कि मुआवजे की रकम कितनी दी जाये, क्लेम का क्या प्रतिशत हो । मैं उस में यह बात रखना चाहता हूं कि संयुक्त परिवारों को कुछ ज्यादा प्रोपोर्शन दिया जाये बनिस्बत उन के जो कि अलाहिदा अलाहिदा परिवार हैं । इस की मिसाल....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपकी इजाज़त से जरा सा इंटरफरेंस करना चाहता हूं । अगर आप ने रूल्स बनाने हैं तो उस वक्त इस की बहस कीजियेगा । अगर आप इस वक्त कमिटमेंट कर देंगे तो रूल्स बनाते वक्त इंसाफ नहीं रहेगा ।

श्री ए० पी० जैन : मैं तो यह कमिटमेंट उन के हक में कर रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर आप को प्रोस और कान्स देखने हैं तो उन को आप रुल बनाते वक्त देखियेगा ।

श्री ए० पी० जैन : मैं ने जो कानून बनाया है उस के अन्दर चाहे पूरी तस्वीर न हो लेकिन मेरे दिमाग के अन्दर तो पूरी तस्वीर है । तो मैं इस तरह से सोच रहा हूं कि फर्ज कीजिये कि एक क्लेम वाले को जिस का अलाहिदा परिवार है ३० फीसदी मिलना है तो संयुक्त परिवार को ३० के बजाय ४० या ४५ फी सदी मिलना चाहिये । जो आंकड़े मैं दे रहा हूं इन से मेरा मतलब मिसाल देने से ही है । इस की मिसाल इन्कम टैक्स में मौजूद है । वहां पर जो एक व्यक्ति को एसेस्मेन्ट दिया जाता है वह शायद ४,२०० रुपया है और जो संयुक्त परिवार को दिया जाता है वह शायद ७,२०० रुपया है ।

Pandit Thakur Das Bhargava: But tax and 'Muawaza' do not stand on the same footing.

श्री ए० पी० जैन : मैं चाहता हूं कि कुछ इसी तरह का यहां भी परसेंटेज मुकर्रर कर दिया जाये । लेकिन मुझे इस अमेंडमेंट को मंजूर करने में आपत्ति है क्योंकि हम को उस हालत में फिर से तमाम चीजों को खोलना पड़ेगा ।

Mr. Chairman: Does the hon. Member Shrimati Sucheta Kripalani want to press her amendment?

Shrimati Sucheta Kripalani: Yes, I would like to press this amendment.

Pandit Thakur Das Bhargava: But why? If the rules are to be made, it cannot be accepted.

Mr. Chairman: Shall I put it to the vote of the House?

Shrimati Sucheta Kripalani: Yes.

Mr. Chairman: The question is:

In page 6, *after* line 12, *add*:

"*Explanation.*—When the claim of co-sharer of the joint family has either been verified jointly or in the name of the *Karta* the amount of such compensation shall be determined separately in respect of each co-sharer of the family in respect of urban immovable property left in West Pakistan."

The motion was negatived.

Mr. Chairman: There are no other amendments to clause 7. I shall now put the clause to vote.

The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8.—*(Form and manner of payment of compensation)*

Mr. Chairman: There is one amendment in the name of Shri Nand Lal Sharma. The hon. Member is absent. So, I shall put the clause to the vote of the House.

The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 and 10 were also added to the Bill.

Clause 11.—*(Rehabilitation and other grants to displaced persons)*

Mr. Chairman: There is an amendment in the name of Shri P. N. Rajabhoj. Does the hon. Member want to move it?

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मुझे पांच मिनट के लिये बोलने का मौका दिया जाये ।

Mr. Chairman: He may move his amendment now. He can speak later.

Shri P. N. Rajabhoj: I beg to move:

In page 8, line 3, *after* "persons" *insert* "and particularly every displaced person belonging to the Scheduled Castes".

Mr. Chairman: Amendment moved:

In page 8, line 3, *after* "persons" *insert* "and particularly every displaced person belonging to the Scheduled Castes".

Mr. Chairman: There is an amendment in the name of Shrimati Sucheta Kripalani. Does the hon. Member want to move it?

Shrimati Sucheta Kripalani: Yes. I want to move it.

I beg to move:

In page 8, line 4, *after* "grant" *insert* "or compensation".

Mr. Chairman: What about Shri Gidwani's amendment? Is he moving it?

Shri Gidwani: Yes.

Pandit Thakur Das Bhargava: Why do you want to move this, after the statement of the hon. Minister in regard to these matters?

Shri Gidwani: There is one point which I would like to clarify.

I beg to move:

In page 8, line 6, *add* at the end:

"and compensation to such displaced persons who migrated later and could not file their claims for verification under the Displaced Persons (Claims) Act, 1950 (XLIV of 1950) and to those displaced persons, who had filed their claims within the prescribed date but their claims had been rejected *ex parte* and to such displaced persons who had filed their claims after 31st December 1951, and before 31st August 1952, but the delay in filing such claims has not been condoned."

Mr. Chairman: Amendment moved:

In page 8, line 6, *add* at the end:

"and compensation to such displaced persons who migrated later and could not file their claims for verification under the Displaced Persons (Claims) Act, 1950 (XLIV of 1950) and to those displaced persons, who had filed their claims within the prescribed date but their claims had been

[M. Chairman.]

rejected *ex parte* and to such displaced persons who had filed their claims after 31st December 1951 and before 31st August 1952, but the delay in filing such claims has not been condoned."

श्री पी० एन० राजभोज: मैं ने जो अपना अमेंडमेंट मूव किया है उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम ने अपने मंत्री महोदय का भाषण बड़े गौर से सुना। वह कहते हैं कि वे गरीबों के लिये बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो सब से गरीब हैं उन के लिये उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेरा मतलब उन शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों से है जो कि पंजाब से और बंगाल से आये हैं। बहुत से लोग आज रिफ्यूजीज के नाम से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन मैं दिल से कहना चाहता हूं कि हमारे जो अछूत भाई हैं उन के लिये हमारे मिनिस्टर साहब कुछ करें। उन को जमीन नहीं मिलती, उन को नौकरियां नहीं मिलतीं, उन की शिक्षा के लिये कोई सहूलियत नहीं मिलती। हमारे मिनिस्टर साहब ने जो २०० करोड़ रुपया खर्च किया है मैं पूछना चाहता हूं कि उस में से अछूत भाइयों के लिये कितना खर्च किया है। उन की कितनी तादाद है। आपकी जो कमेटियां बनती हैं आप उन में उन के प्रतिनिधि नहीं लेते हैं और उन को कानफिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं हाउस को बतलाना चाहता हूं कि यह बिल जो पास हो रहा है उस में मेरा यह अमडमट है कि इस पूल में से शिड्यूल्ड कास्ट वालों के लिये जमीन का, मकान का, शिक्षा आदि का प्रबन्ध किया जाये। और खास तौर से दो दो हजार या तीन तीन हजार रुपया उन को दे कर सब से पहले उन के लिये मकानों की सहूलियत की जाये। इस की सब से बडी जरूरत है। अभी कोई अछूत इयों के लिये कुछ नहीं कहता है। मगर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो कहते हैं कि हरिजन भाइयो तुम हम को वोट दो, और वोट मिलने के बाद फिर उनका नाम भी नहीं लेते। तो मैं हाउस को बतलाना चाहता हूं कि इन लोगों का हाल ऐसा है कि मूंह में राम बगल में छुरी। यह इन का अछूतों के लिये प्रेम है। (*Interruptions*)

Mr. Chairman: Order, order. No interruptions please. The time is very short.

Pandit Thakur Das Bhargava: He is not relevant at all. What is this "मूंह में राम बगल में छुरी" It is all condemnation without anything. He has not given any facts. He is not supporting his amendment, but is speaking in a general way.

Mr. Chairman: Order, order. The time is very short. We have only 15 or 20 minutes left, and we have to go through all these amendments within this time. Therefore, I hope the hon. Member Shri P. N. Rajabhoj will finish within two minutes.

श्री पी० एन० राजभोज: हमारे ठाकुर दास भी बड़े गुस्से में बोले हैं। मैं यह कह रहा था कि हमारे शरणार्थी भाइयों के लिये कुछ करना चाहिये। इन लोगों में से बहुतों ने सरकार के पास अपने क्लेम नहीं भेजे हैं। उन लोगों को बसने के लिये कम से कम मकान होना चाहिये, उन के लिये जमीन की सहूलियत होनी चाहिये और उन को पढ़ने की सहूलियत होनी चाहिये। यह सब हम को पूल में से मिलना चाहिये। कम से कम हर शरणार्थी को दस एकड़ जमीन मिलनी चाहिये। केवल "विनोबा जी की जै" कहने से काम नहीं चलेगा। उन की स्कीम को आप को अमल में लाना होगा। मेरी प्रार्थना है, सभापति महोदय, कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के भाइयों को जमीन मिलनी चाहिये

और जो मैं ने अमेंडमेंट दिया है उस को स्वीकार करना चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन: अभी जो कुछ श्री राजभोज ने कहा, उस से मुझे बड़ी हमदर्दी है । वैसे भी वह मेरे मित्र हैं और उन की बात का तो मैं बहुत ही आदर करता हूं । मैं उन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में किसी मिनिस्ट्री ने अछूतों की भलाई और बेहतरी के लिये कुछ किया तो वह हम ने किया । बीकानेर के अन्दर मेरे मित्र जा कर देखें हम ने वहां पर पांच पांच और दस दस एकड़ जमीन हरिजनों को दी है । मतसया के अन्दर जा कर देखें कि हम ने हरिजनों को किस तरह वहां पर बसाया है । अहमदाबाद में जा कर देखें कि हरिजनों के वास्ते हम ने वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी को पैसा दे कर कैसे मकानात बनायें हैं और उस तरह के मकान शायद हिन्दुस्तान भर में हरिजनों के पास दूसरी जगह नहीं होंगे । अगर वह जा कर देखें तो उन को मालूम होगा कि हम ने हरिजनों के लिये क्या क्या काम किये हैं । खाली यही नहीं कि हरिजनों और दूसरों के अन्दर हम ने कोई फर्क नहीं किया, जो फायदा दूसरों को मिलता है वह तो सब का सब हरिजनों को मिलता ही है लेकिन उस के अतिरिक्त भी हम ने काफी रुपया खर्च किया है हरिजनों को बसाने में उन को मकान देने में जहां तक गरीब हरिजनों का सम्बन्ध है उन के लिये हम ने काफी किया है और मुझे उन के साथ में पूरी हमदर्दी है ।

Shri Nanadas (Ongole—Reserved—Sch. Castes): What is the total amount spent for the Harijans out of these two hundred crores?

Mr. Chairman: How can he give the figures?

श्री पी० एन० राजभोज : हमें डिटेल्ड इंनफोरमेशन मिलनी चाहिये ।

श्री ए० पी० जैन: हमारे पास आओ, हम आप को सब इनफोरमेशन दे देंगे।

Mr. Chairman: Does Mr. Rajabhoj press his amendment?

Shri P. N. Rajabhoj: Yes.

Mr. Chairman: The question is:

In page 8, line 3, *after* "persons" *insert* "and particularly every displaced person belonging to the Scheduled Castes."

The motion was negatived.

Mr. Chairman: Does Mrs. Sucheta Kripalani want me to put her amendment?

Shrimati Sucheta Kripalani: Not necessary. I do not press it.

श्री गिडवानी: सभापति जी, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

In page 8, line 6, *add* at the end—

"and compensation to such displaced persons who migrated later and could not file their claims for verification under the Displaced Persons (Claims) Act, 1950 (XLIV of 1950) and to those displaced persons, who had filed their claims within the prescribed date but their claims had been rejected *ex parte* and to such displaced persons who had filed their claims after 31st December, 1951 and before 31st August, 1952 but the delay in filing such claims has not been condoned."

मेरे संशोधन के दो हिस्से हैं । पहला उस का हिस्सा तो यह है कि ऐसे शरणार्थी जो हिन्दुस्तान बाद में आये या जिन्होंने किसी भ्रमवश या गलती से अभी तक अपने क्लेम्स दाखिल नहीं किये हैं उन के क्लेम वैरीफाई किये जायें । इस के अलावा दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि मियाद के अन्दर अपने क्लेम दाखिल किये थे लेकिन उन के क्लेम्स एक्स पार्टी रिजैक्ट कर दिये गये

[श्री गिडवानी]

उन के क्लेमों को भी लिया जाये । इस में हुआ यह कि हालांकि उन्होंने अपने क्लेम्स मियाद के अन्दर दे दिये थे लेकिन वह एक जगह से दूसरी जगह चले गये और नये पते पर अफसरान ने वक्त पर नोटिस नहीं भेजा और उन के क्लेम्स एक्स पार्टी रिजैक्ट हो गये । मेरी समझ में ऐसे केसेज दस, बीस हजार के लगभग होंगे, तो इंसाफ का तकाजा है कि ऐसे लोगों के केस लिये जायें, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह चले गये और नये एड्रेस पर उन को वक्त पर नोटिस नहीं मिल सका, बम्बई से सौराष्ट्र नोटिस आने में दो दिन लग गये और अफसरान ने भी अपना काम जल्दी खत्म करने के लिये ऐसा नोटिस दिया और वक्त पर न पहुंचने के कारण एक्स पार्टी उन के क्लेम्स रिजैक्ट कर दिये गये, उन को आप को इस में शामिल करना चाहिये । मेरा कहना है कि जब आप इतनी उदारता दिखाते हैं कि जिन्होंने देर से आने के कारण या गलती की वजह से अपने क्लेम्स नहीं दिये हैं उन के क्लेम्स आप लेंगे तो ऐसे लोगों को भी आप इस में रख लें कि जिन्होंने अपने क्लेम्स मियाद के अन्दर दे तो दिये लेकिन नयी जगह बदल लेने के कारण दूसरे प्रान्त में चले जाने के कारण वक्त पर उन के पास नोटिस न पहुंचन से उन के क्लेम्स एक्स पार्टी रिजैक्ट कर दिये गये वह भी शामिल कर लिये जायें । बस मेरी यही आप से विनती है ।

श्री ए० पी० जैन: सभा को याद होगा कि कई महीने पहले एक कानून पास हुआ था जिस का नाम डिस्प्लेस्ड पर्सनस वैरिफिकेशन आफ क्लेम्स (साप्लिमेंटरी) ऐक्ट था । उस के अन्दर यह रखा गया था कि जिस आदमी ने क्लेम दाखिल किया हो और उस का क्लेम यदि खारिज हो गया हो तो वह उस कानून के मातहत निगरानी दाखिल कर सकता है और अगर किसी आपत्ति की वजह से या मियाद खत्म हो जाने की वजह से निगरानी नहीं दाखिल कर सकता तो वह अपना रिप्रेजेंटेशन चीफ सैटिलमेंट कमिश्नर के सामने कर सकेगा जो उस क्लेम पर दुबारा बैरीफाई कर सकता है । इस कानून के अनुसार हमारे पास कई हजार दरख्वास्तें आई हैं और उन की जांच पड़ताल हो रही है । यह मामला ऐसा है जो उस कानून से ढका हुआ है और इस तरह का संशोधन लाने की कोई जरुरत नहीं है ।

श्री गिडवानी: आप समझते हैं कि जितने केसेज हैं वह सब उस कानून से कवर हो जाते हैं ?

श्री ए० पी० जैन: सेंट परसेंट ।

Mr. Chairman: Does he press his amendment?

Shri Gidwani: No, Sir. I beg to withdraw it.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Chairman: I shall now put the clause 11 to the vote of the House. The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 *was added to the Bill.*

Clause 12.—(*Power to acquire evacuee property for rehabilitation of displaced persons*).

Mr. Chairman: There is one amendment by Shri M. L. Agrawal.

Shri M. L. Agrawal (Pilibhit Distt. *cum* Bareilly Distt. East): In view of the hon. Minister's assurance, there is no necessity to move my amendment. I do not move it.

Mr. Chairman: There is no other amendment.

Shri Mulchand Dube (Farrukabad Distt.—North): I want to speak on this clause. I am finding some difficulty with regard to sub-clause (ii) of clause 12 which reads thus:

> "On the publication of a notification under sub-section (1) the right, title and interest of any evacuee in the evacuee property specified in the notification shall, on and from the beginning of the date on which the notification is so published, be extinguished and the evacuee property shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances."

I am referring to the words "free from encumbrances". The question is if there is a mortgage in favour of a national on any evacuee property, how will that encumbrance be extinguished? The Evacuee Property Act has been in force from 1948 to 1954 only. The period for the mortgage is 12 years. If it was a mortgage in favour of an evacuee, of course the claim would be barred, but if the mortgage is in favour of a national of India, I do not know how it will be free from all encumbrances. The clause seems to have been taken from the Land Acquisition Act. Under the Land Acquisition Act an enquiry is made and all encumbrances are satisfied. In this case there is no provision about the satisfaction of any encumbrances.

Shri A. P. Jain: Sir, I tried to explain this issue during the course of my previous speech. I am afraid that the hon. Member did not follow it. The House is aware that about a couple of years ago we passed an Act known as the Separation of Evacuee (Interests) Act in which there was a provision for the separation of the evacuee and non-evacuee interest in composite properties.

Mr. Chairman: So, by that Act it is fully covered.

Shri A. P. Jain: Yes Sir, it is fully covered by that Act.

Mr. Chairman: I shall now put clause 12. The question is:

> "That clause 12 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is:

> "That clause 13 do stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Shri Mulchand Dube: I would like to say one word on this clause.

Shri A. P. Sinha (Muzaffarpur East): Vote is already taken.

Mr. Chairman: There is no amendment, and particularly there is no time. There may be certain amendments later which certain Members may want to press.

Shri Mulchand Dube: I am having some difficulty about understanding this clause.

Mr. Chairman: But he has not put in any amendment. So what is the use of it now?

Shri Mulchand Dube: There was a certain reason for not moving an amendment.

Mr. Chairman: If he insists, I shall have to allow him.

Shri Mulchand Dube: Clause 13 reads:

> "There shall be paid to an evacuee compensation in respect of his property acquired under section 12 in accordance with such principles and in such manner as may be agreed upon between the Governments of India and Pakistan".

Now, compensation has to be paid to the evacuee in respect of the property that has been acquired. If we are to wait till the Pakistan Government agrees to the principles of compensation, I think the matter will never end. I think the matter should

[Shri Mulchand Dube]

not be left to the Government of Pakistan's decision. A time-limit should be fixed within which the Pakistan Government should be able to say whether they agree with the principles or they do not agree with the principles.

Pandit Thakur Das Bhargava: No clarification is required. It is quite clear.

Shri A. P. Jain: It is quite clear. We are not going to wait for Pakistan.

Clause 14.— (*Compensation pool*)

Pandit Thakur Das Bhargava: I have got an amendment.

Mr. Chairman: Are there any other amendments?

Shri M. L. Agrawal: There is an amendment in my name. I do not want to move it.

Pandit Thakur Das Bhargava: My amendment is:

In page 9, *after* line 6, *add*—

"Provided that such contribution by the Government shall in no case be less than the amount which taken along with the real value of the 185 crores (face value) appropriated for the purpose of payment of compensation will make up at least fifty per cent of the verified claims of the refugees and the compensation due to the public trusts and public institutions left in Western Pakistan".

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : मेरा अर्ज करना यह है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे । न तो आप ने कोई नोट आफ डिसेन्ट ही दिया और न अपना कोई राइट ही रिजर्व किया है तो फिर यह कैसे अपना एमेंडमेंट मूव कर सकते हैं ?

Mr. Chairman: Order, order.

Dr. Ram Subhag Singh (Shahabad South): That is a good point of order.

Mr. Chairman: He might not have put in a note of dissent. But he might have changed his mind after the discussion here.

Pandit Thakur Das Bhargava: I have not even changed my mind. It is absolutely consistent with my Chairmanship of the Select Committee and my membership of the Select Committee. It is consistent for the hon. Member also who is objecting to it to support it, and it is also consistent for the hon. Minister to support it.

Shri A. P. Jain: May I say a word?

श्री आर० डी० मिश्र : इस में १८५ करोड़ रुपये प्रोवाईड करने के लिये जो एमेंडमेंट पेश कर के सरकार को बाऊंड किया जाता है, उस के लिये प्रेजीडेन्ट के सेंक्शन की जरुरत है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, यह जो दफा १४ है उस के ऊपर सैलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, मैं उस को पढ़ कर आप की खिदमत में सुनाना चाहता हूं :

Shri A. P. Jain: Obviously, if this amendment is passed, it will create a charge on the Consolidated Fund of India.

Pandit Thakur Das Bhargava: I am not going to press it.

मैं जनाब की इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि दफा १४ में इस कमेटी ने जो नोट लिखा है उस के अन्दर साफ लिखा हुआ है । जो ऐमेन्डमेंट मेरा है उस को मैं यहां पर नहीं रख रहा हूं क्योंकि जैसे अल्फाज बिल में हैं उन से भी हमारा काम चल जाता है । और यही वजह है कि मैं अपने ऐमेन्डमेन्ट को प्रेस नहीं करना चाहता हूं, हालांकि मैं यह जरुर कहूंगा कि यह बड़ी कंसिस्टेंट चीज है । मैं ने अर्ज किया था कि मिनिस्टर साहब और कमेटी के ५१ मेम्बरान कासा

गदाई ले कर कैबिनेट के पास जायें और अर्ज करें। अभी मैं ने आनरेबल मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी, उस से मुझे कुछ इत्मीनान हुआ और मुझे जरा भी ताम्मूल नहीं है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जिस कदर काम रिफयूजीज के लिये किया है उस के वास्ते में उन को ट्रिब्यूट पे करूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है और न पूरे अलफाज हैं कि उन की ठीक सराहना कर सकूं। मैं जानता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने शरणार्थियों को कम्पेन्सेशन दिलाने के लिये अपनी मिनिस्ट्री की भी परवाह नहीं की। मैं उन का निहायत ही मश्कूर हूं इस के लिये कि जिस तरह से उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। इस के लिये मैं और कुछ नहीं कहना चाहता सिवा इस के कि उन्होंने अपने फरायज को पूरी तरह अदा किया है।

अब वक्त आ गया है। मैं यह नहीं अर्ज करता कि मिनिस्टर साहब अपनी कपेसिटी से आगे बढ़ जायें, जो कुछ उन्होंने किया है उस से उन के तरफ से हमारी तसल्ली है। मैं जानता हूं कि इस रुपये को पांच साल में देना है। पर जो कम्पेन्सेशन आप दे रहे हैं उस में जो रुपया ५० फी सदी से कम पड़ता है उस को आप पूरा कर दें। यही मेरी गुजारिश है। मैं जब यह कहता हूं तो जो कुछ आप ने किया है उस के लिये मश्कूर होते हुए कहता हूं। लेकिन जिन को हम पे करना चाहते हैं, चाहे पांच साल में दें, लेकिन उन के क्लेम बैरिफाई जो हो चुके हैं या होंगे उन को ५० फी सदी पूरा करदें।

मेरा इत्मीनान है और आप ने यह भी ऐनाउंस कर दिया है कि जितने गरीब आदमी हैं जिन के क्लेम नहीं पहुंचे हैं वह अब भी दे सकेंगे। इस के लिये मैं कहना चाहता हूं कि उन का ज्यादा क्लेम है इस कम्पेन्सेशन के ऊपर। लेकिन कम्पेन्सेशन क्लेम के तरीके पर न दिया जाये, रिहैबिलिटेशन के तरीके से दिया जाये। आप हमारी इस ख्वाहिश को कैबिनेट तक पहुंचा दें। हम ने अली बाबा चालिस चोर की कहानी सुनी है, आप अली बाबा की तरह हमारी रहनुमायी कर के इसे कैबिनेट के सामने पेश कर दें।

Shri A. P. Jain: I do not want to say anything.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 14 *was added to the Bill.*

Mr. Chairman: What I propose to do is this. I shall give at least ten minutes for the third reading stage. So I want to dispose of all the amendments and clauses by 2.10.

Pandit Thakur Das Bhargava: Nothing is left.

Shri J. K. Bhonsle: At 2.5.

Sardar A. S. Saigal (Bilaspur): It should be 2.5, because we will be finishing at 2.15.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15 *was added to the Bill.*

Clause 16.— (*Management of compensation pool*)

श्रीमती सुचेता कृपलानी: मैं प्रस्ताव करती हूं :

"In page 9, *after* line 35, *add*—

"(4) While appointing managing officers or managing corporations, the Government shall specify the period within which the said officer or corporation shall dispose of the property.

Provided that in no case shall this period exceed three years from the date of the appointment

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

of the managing officer or the corporation."

यह संशोधन मैं ने इस ख्याल से रक्खा कि जो मैनेजिंग कारपोरेशन्स या मैनेजिंग आफिसर्स ऐप्वाइंट किये जायेंगे उन का काम रहेगा मैनेजमेन्ट और डिस्पोजल । जो आफिसर्स या कारपोरेशन्स रहेंगे वह सभी भले आदमियों के नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं हूं, जिन के मन में कुछ लालच होगी कि अब ताकत उन के हाथ में आ गई है इस लिये उस को लम्बा बढ़ायें । इस में वेस्टेड इन्टरेस्ट क्रिएट हो जायेंगे और यह डर है कि जिस प्रापर्टी को जल्दी से जल्दी डिस्पोज होना चाहिये वह लम्बे दिनों तक चलती रहे । यह डर इस लिये और भी है कि उन दिनों जब रिफ्यूजी कैम्पस बने थे उन में बहुत से गवर्नमेंट के आफिसर्स रक्खे गये थे । उन दिनों श्री मोहनलाल सक्सेना मिनिस्टर थे, जब वह काम खत्म करना चाहते थे तो उन के रास्ते में रुकावटें आईं । जो लोग मैनेज कर रहे थे उन लोगों ने डालीं । उन के वेस्टेड इन्टरेस्ट थे कि उन की नौकरी चली जायेगी । इस लिये मैं चाहती हूं कि कहीं फिर ऐसा न हो कि रिफ्यूजीज को जल्द से जल्द जायदाद मिलने के बजाय गड़-बड़ी पैदा हो जाये और जायदाद उनके हाथ में न आये और जो मैनेज करवाते हैं वही उसको मैनेज करते रहें ।

इसलिये मैं चाहती हूं कि टाइम मुकर्रर कर दिया जाये कि तीन साल के अन्दर उनको अपना काम खत्म कर देना चाहिये और जितने भी आप कारपोरेशन ऐप्वाइंट करें, ऐप्वाइंट करते वक्त उनको बता दिया जाये कि एक साल, डेढ़ साल या दो साल के लिये कायम किये जा रहे हैं और इस समय के अन्दर उनको काम खत्म करना पड़ेगा । अगर वह नहीं खत्म कर पाते तो उनको एक्सटेन्शन दिया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप एक सीलिंग रख दें तभी जल्दी से जल्दी काम हो सकता है । जितनी जल्दी यह काम खत्म हो उतना ही रिफ्यूजीज के लिये अच्छा है । इसीलिये मैं ने यह अमेंड-मेंट दिया है ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं मंत्री महोदय से कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें क्योंकि यह बहुत ठीक है ।

श्री ए० पी० जैन : जो कुछ मेरी बहन सुचेता कृपालानी ने कहा है मैं उससे सहमत हूं । काम जल्दी होना चाहिये । इस से मेरी पूरी सहमति है । मगर मैं यह समझता हूं कि यह एमेन्डमेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि २०० करोड़ रुपये की जायदाद नियत समय में न बिक सके ऐसी हालत में क्या होगा, वह किस में वेस्ट करेगी । इस लिय मैं समझता हूं कि जहां इस की पूरी कोशिश होनी चाहिये, और हम, करेंगे, कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाय और उस का निपटारा हो जाये, वहां इस में इस किस्म की कोई शरायत होना मुनासिब नहीं है ।

2 P.M.

Shrimati Sucheta Kripalani: I do not press my amendment.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 *was added to the Bill.*

Clauses 17 *to* 30 *were also added to the Bill.*

Shrimati Sucheta Kripalani: Sir, I have a small amendment to this

clause—amendment No. 8—about the addition of the words "non-officials" after the word "Board". From the report of the Select Committee it is quite obvious that it is intended that the Board should be non-official. Therefore, I thought this was left over by mistake in drafting and so, I would request the hon. Minister to accept it.

Mr. Chairman: There is another amendment to this clause by Shri D. C. Sharma.

Shri D. C. Sharma: In view of the assurance given by the hon. Minister to me, I do not want to move my amendment.

श्री ए० पी० जैन : जहां तक इस अमेंडमेंट का सम्बन्ध है श्रीमती सुचेता कृपालानी खुद जानती हैं कि मौजूदा एडवाईजरी कमेटी में पांचों मेम्बर नान आफिशियल हैं। इस के पहले जो एडवाइजरी कमेटी थी उस में सात या आठ मेम्बर थे। उन में एक आफिशियल था। इस तरह की कमेटियों में एक बड़ा बहुमत नान आफिशियल मेम्बरों का होना चाहिये लेकिन तजर्बा बतलाता है कि अगर एक दो आफिशियल हो तो वह बहुत मदद कर सकते हैं। उस को डिपार्टमेंट की बातें मालूम रहती हैं। और वह तमाम चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिये मैं यह नहीं चाहता कि कोई पाबन्दी हो, लेकिन मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि एक और ज्यादा से ज्यादा दो आफिशियल मेम्बर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सुचेता जी अपने अमेंडमेंट को पेश न करें।

Shrimati Sucheta Kripalani: I am not keen on my amendment.

Mr. Chairman: The question is:

"That clause 31 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 31 was added to the Bill.

Mr. Chairman: There are some amendments by Shri D. C. Sharma to clauses 35, 39A and 40. Does he want to move them?

Shri D. C. Sharma: Sir, in view of the assurance given to me by the hon. Minister yesterday morning, I withdraw my amendments.

Mr. Chairman: The question is:

"That clauses 32 to 40 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 32 to 40 were added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Schedule, Clause 1, Long Title and the Enacting Formula stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri J. K. Bhonsle: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill be passed."

लाला अचित राम (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है कि यह बिल पास होने जा रहा है। इस के पहले का जो इतिहास है वह आप के सामने है उस को देख कर बड़ी खुशी होती है। कम से कम उस इतिहास ने यह बात साफ कर दी है कि हमारे मंत्री जी ने भी यही नुक्तेनज़र पेश करने की कोशिश की है कि यह कम्पेन्सेशन पूल बढ़ाया जाये। वह ऐसा करने में बिल्कुल जस्टीफाइड हैं क्योंकि पब्लिक ओपीनियन उन के पीछे मुत्तहिदा तौर पर है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस वक्त हिन्दुस्तानी की पब्लिक ओपीनियन इस बात के हक में है कि कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाया जाये। प्रेस इस के हक में है। जहां तक कि कांग्रेस आर्गेनाइजेशन

[लाल अचिन्त राम]

का ताल्लुक है वह इस के हक में है । अभी पेप्सू में एक कानफ्रेंस हुई उस में यह रिजोल्यूशन पेश किया गया कि इस को बढ़ाया जाय । और कम से कम ५० पर सेंट बढ़ाया जाये । पंजाब की कांग्रेस कमेटी की भी यही राय है और जहां तक में समझता हूं पंजाब गवर्नमेंट की भी यही राय है । तमाम एसोसियेशन्स ने एक जबान से इस बात को कहा है कि इस को बढ़ाया जाये । जिस वक्त यह बिल इस हाउस में पहले पेश हुआ था उस वक्त भी जितने मेम्बर बोले उन सब ने एक जबान से कहा कि इस को बढ़ाया जाये और कल से जो १४ मेम्बर बोले हैं उन्होंने भी यही कहा है कि इस कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाया जाये । सिलेक्ट कमेटी के ५१ मेम्बरों ने जिन में मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं यह कहा है कि इसको ५० परसेंट बढ़ाया जाये । तो इस मसले पर इतनी यूनानिमिटी है । पंडित ठाकुर दास ने कहा कि हम कासाये गदाई ले कर कैबिनेट के पास जायगे और मंत्री साहब ने जिस हिम्मत से काम लिया है वैसी वह आगे भी दिखायेंगे । मैं तो कहता हूं कि यह कासाये गदाई ले कर जाने की कोई जरुरत ही नहीं है । मेरे दिल में तो इन तमाम चीजों को देख कर यह सवाल पैदा होता है कि कासाये गदाई ले कर जाने से क्या फायदा होगा । इन सब चीजों को देख कर जब मैं यह देखता हूं कि इतनी पब्लिक ओपीनियन को भी गवर्नमेंट नहीं मानती तो मैं सोचता हूं कि :

Where are we living? Are we living in democratic times? Are we living under a democratic constitution?

सारे मुल्क की मित्तहिदा आवाज इस के हक में है । कोई डिशेंसयंट वाइस नहीं है । सलेक्ट कमेटी में कांग्रेस पार्टी वाले और नान कांग्रेस मैन सभी यह कहते हैं कि इस को कम से कम ५० परसेंट बढ़ाया जाये । अगर इतने पर भी इसको मंजूर न किया जाय तो वह तो ऐसा है कि कोई सूरज को भी न देखना चाहे । आज जो मुल्क में पब्लिक ओपीनियन है उस को गवर्नमेंट नहीं देखती । मुझे अफसोस है कि यहां फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नहीं हैं । अगर वह होते तो इस बात को देख सकते । अगर इतनी ओवरव्हेल्मिंग पब्लिक ओपीनियन होते हुए भी कोई इस चीज को न देखना चाहे तो उस के मुताल्लिक क्या कहा जाये । इस वास्ते में समझता हूं कि जिस तरीके से यह बिल पास हो रहा है वह इस की शहादत है कि इस के बाद और कोई चारा नहीं रहेगा । अगर इतनी पब्लिक ओपीनियन के होते हुए भी इस चीज को मंजूर नहीं किया जाता तो हम को सोचना होगा कि हमारा डिमाक्रेसी का दावा कहां तक ठीक है । ऐसा मेरा ख्याल है । इतना तो मैं ने इस बारे में अज कर दिया ।

दो एक चीजें और ह जो कि मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज कर देना चाहता हूं । अभी तक किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि कम्पेसेशन देने म कुल कितना वक्त लगेगा । मिनिस्टर साहब ने कहा है कि तीन बरस लगेंगे । उन्होंने इस काम को करने के लिये अच्छे अच्छे आदमी रखे हैं इस से मुझे सन्तोष हुआ । उन्होंने एक बात कही कि मैं अपनी बात करूंगा और जो ठीक समझूंगा उस को आखिर तक करुंगा । जिस तरह वह अपनी बात पर कायम रहना चाहते हैं वैसे ही वह दूसरों को भी हक देंगे । मैं भी उन से बराबर कहता रहा हूं और अब भी कहूंगा कि इस काम में वक्त कम किया जा सकता है ? मैं दूसरी मिनिस्ट्रयों को कहता हूं कि वे इन को मदद करें । मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब दयानतदार हैं । लेकिन मैं चाहता हूं कि वह और आदमी लें और इस काम को जल्दी खत्म क । तीन बरस का वक्त बहुत

ज्यादा है । एक जेनेरेशन बीस बरस में खत्म हो जाती है : सात बरस तो पहले ही बीत चुके और तीन बरस आप और लेना चाहते हैं । इस तरह से इस काम में आधी जेनेरेशन खत्म हो जायेगी । इस वास्ते मैं फिर कहूंगा कि आप इस काम को जल्द खत्म करें । मैं अब भी कहता हूं कि गवर्नमेंट को यह चाहिये कि बाकी मिनिस्ट्रयों के जरिये इन की मदद करे ताकि यह काम जल्द खत्म हो ।

दूसरी बात जो मैं बहुत थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं वह गवर्नमेंट द्वारा इवैकुई प्रापरटी और सरकारी मकानों की नीलाम के बाबत है और जिस तरह वह नीलाम हो रहा है उस को देख कर मुझे बड़ी हैरानी होती है । आपने कहा कि दो ढाई लाख मकान बनाये गये और नीलाम यहां पर केवल २०० या २५० मकानों का किया जा रहा है तो इस के लिये इतना शोर क्यों है ? अभी उस दिन नीलाम आपने किया और वहां पर लाठी चार्ज हुआ, आप कहें कि नहीं हुआ, खैर जो भी हो लेकिन मेरे पास एक आदमी आया जिस से मालूम हुआ कि एक आदमी बेहोश पड़ा है अभी तक, अब वह कैसे और क्यों बेहोश पड़ा है . . . .

श्री ए० पी० जैन : आपने अपनी आंखों से देखा ।

लाला अचित राम : मैं ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा लेकिन मेरे पास दो तीन आदमी आये और उन से मालूम हुआ कि एक शख्स बेहोश पड़ा है । खैर यह मेरा विषय नहीं कि वह क्यों बेहोश पड़ा है या लाठी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता कि क्या बात हुई । हां तो मैं आप को बतला रहा था कि दिल्ली में ऐसे २००, या २५० मकान हैं जो कि नीलाम हो रहे हैं जब कि दिल्ली में ही ऐसे सैकड़ों और हजारों आदमी पड़े ह जिनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं, वह उन को दिये जाने चाहियें ।

श्री ए० पी० जैन : मैं जरा सी बात साफ कर दूं । दिल्ली में दो सौ, ढाई सौ मकानों के अलावा बाकी हिन्दुस्तान में जो खाली मकान ह हमें उन को बेचने का हक है ।

लाला अचित राम : मैं समझता हूं कि आप का बेचना बिल्कुल मुनासिब और जायज है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप के बेचने से कोई आदमी बेघर न हो जाये । अगर कोई बेघर न रहे तो आप को बेचने का पूरा हक है लेकिन अगर अभी लोग बेघर हों, तो आप का बेचना मुनासिब और जायज नहीं है ।

दुकानों के बारे में जो आप ने कहा कि कीमत ज्यादा है या कम है तो इस बारे में भी आप को ख्याल रखना जरुरी है कि आप के फेल से कोई आदमी बेदुकान न हो जाये । उस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पिछले सात वर्षों से अपने बिजनेस को वहां किया है वह कहीं उन दुकानों के बाहर न कर दिया जाये जिस से वह बेकार हो जाये और उस की रोजी जाती रहे, बड़ी मुश्किल से इस अर्से में वह वहां अपना बिजनेस ठीक तरह से जमा पाया है । बस मुझे यही चन्द बातें अर्ज करनी थीं ।

Mr. Chairman: The scheduled time is over now.

Sardar A. S. Saigal: It is up to 2-15 p.m.

Mr. Chairman: Then, let the House take some time out of the other business of the day.

شری ایم - ایچ - رحمان (ضلع مرادآباد مدھئے) : مسٹر چیرمین - مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور جوائنٹ سلیکٹ

[شری ایم - ایچ - رحمان]

نہیں رہ سکتا - یاد رکھئے ہماری پارلیامنٹ میں جو تقریر ہوتی ہے وہ صرف اس پارلیامنٹ ہاؤس تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ باہر پبلک پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے - میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارے دلوں میں ریفیوجی بھائیوں کا احساس ہے اور ہم نے سیکڑوں انڈی ویجئول کیسوں میں اپنے ہندو اور سکھ ریفیوجی بھائیوں کی مدد کی ہے اور عام طور پر ان کی مدد کی جاتی رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے اور ہونا چاہیئے لیکن ہاؤس میں ذمہ دار آدمی اس قسم کی تقریریں نہ کریں کہ جن سے یہ محسوس ہو کہ مسلمان ایک الگ چیز ہیں اور جب کبھی کوئی ریفیوجیز کا [مسئلہ آئے جب کبھی کوئی ایسی بات آئے تو ہندوستان کے مسلمان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے جس سے بیچارے ریفیوجیز یہ سمجھیں کہ ان بد بخت مسلمانوں کی وجہ سے ہمارے کاز کو نقصان پہنچتا ہے - ہمارے شری ٹنڈن جی نے اور سوچیتا جی نے جیسی تقریریں کی ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں - یہ جو طریقہ کار ہے میں اس طریقہ کار کی سخت مخالفت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ اس ہاؤس کے ذمہ دار ارکان کی طرف سے نہیں ہونا چاہیئے.....

کمیٹی نے جو آپ کے سامنے بل رکھا ہے اس کو ہم پاس کر رہے ہیں - جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ متفقہ رائے سے بہت خوبی کے ساتھ تمام معاملات طے ہوئے اور اس بات کو سبھی مان رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے بھائی شری اچلت رام نے فرمایا کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اب تک جو کام کیا گیا ہے وہ بہت کم ہے اور اس سے زیادہ اس عرصہ میں کیا جانا چاہیئے تھا اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ریفیوجی بھائیوں کو مدد ملنی چاہیئے اور اس کے لئے جو بھی طریقے ہوں ان کو اختیار کرنا چاہیئے - اس کام کو انجام دینے کے لئے مختلف سجیشن دئے گئے ہیں اور جب جب ضرورت ہوگی اور بھی مختلف قسم کی چیزیں پیش کریں گے - لیکن ایک بات احساس کر کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتلا دوں کہ کل جو یہاں پر تقریریں ہوئیں ان سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ریفیوجی بھائیوں کا مسئلہ کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ہندوستان کے بسنے والے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں کوئی ایک مخالفت کی اسپرٹ رکھتا ہے - بار بار ایک ایسے انداز سے یہاں پر بات کی گئی کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے بغیر

[**Shri M. H. Rahman** (Moradabad Distt.—Central): Mr. Chairman, I am glad that we are performing a great duty to-day by passing this Bill as it has emerged from the Joint Select Committee. I can say, as a member of the Joint Select Committee, that all the points at issue were settled unanimously and amicably. We all concede and feel, as stated just now by Shri Achint Ram, that whatever has been accomplished so far is too insufficient and that more should have been done during this period. We concede that still greater relief should be provided to our refugee brethren and that all possible measures should be adopted to that end. Various suggestions have been put forward with a view to the execution of this task and more are expected to be made in due course. But there is one matter which has caused me a great deal of pain. From the trend of the speeches made here yesterday, one had the feeling as if the problem of our refugee brethren could be tackled only in a spirit of hostility to the Muslims living in India. Time and again the tenor of the speeches led inexorably to the same conclusion. We should remember that a speech delivered in this House does not remain confined only within the Parliament House, but has considerable repercussions on the public outside. We have a feeling of sympathy for our refugee brethren and we have helped hundreds of them, Hindus and Sikhs, individually. We have been helping them generally and this is only right and proper. I think it would be better if responsible people in the House refrain from making such speeches as might give the impression that the Muslims are a separate entity. It is not proper, whenever some problem of the refugees or some such thing crops up, to bring in the Indian Muslims, so as to give the poor refugees the impression that it is on account of these Muslims that their cause has suffered. The speeches that have been made by Shri Tandon ji and Sucheta ji give this indication. I strongly protest against this kind of approach and feel that responsible Members of this House should not adopt this attitude.....]

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई देहली): मुझे इस पर एतराज़ है । मैंने ऐसी कौन सी बात कही जिस पर आपने यह एतराज़ किया ?

شری ایم - ایچ - رحمان : آپ نے جو یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے اور ایک صاحب نے کہا کہ اس کا اثر ہمارے کمپنسیشن پول پر خراب پڑتا ہے -

[**Shri M. H. Rahman:** You said that leniency was being shown to Muslims and another speaker said that it had a prejudicial effect on the compensation pool.]

Shrimati Sucheta Kripalani: You have not understood my speech. I would like you to withdraw your remarks.

شری ایم - ایچ - رحمان : میں اس کو واپس نہیں لے سکتا -

[**Shri M. H. Rahman:** I cannot withdraw them.]

Sardar A. S. Saigal: On a point of order, who is in possession of the House?

Mr. Chairman: Maulana Hifzur Rahman (*Interruption*). Now the time is over.

شری ایم - ایچ - رحمان : صرف ایک منٹ اور چاہتا ہوں -

[**Shri M. H. Rahman:** I want one minute more.]

Dr. Ram Subhag Singh (Shahabad South): I would like that the speech of Mrs. Sucheta Kripalani should be read out here, I mean the portion of it to which Maulana Hifzur Rahman refers, so that the House may be enlightened.

Mr. Chairman: The scheduled time is over.

شری ایم - ایچ - رحمان : خیر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں بیٹھے جاتا ہوں -

[**Shri M. H. Rahman:** If such is the Chair's wish I resume my seat.]

Shrimati Sucheta Kripalani: I would like to make my position clear. A very serious charge has been levelled against me by the hon. Member. I have been serving in public life for the last twenty years. (*Interruption*) and I am absolutely justified in replying to the hon. Member's false charge, absolutely uncalled for charge, against me. I have been serving in public life for over twenty years. You should go to Dr. Zakir Hussain to find out what I have done for the Muslims in Delhi. When the riots were going on in Delhi, I was moving about in the Muslim localities and helping the Muslims. What did I say yesterday? I said that I certainly do not like the Government's policy of conceding to Pakistan, and if the hon. Member is hurt over that remark of mine, he is welcome to feel hurt.

شری ایم - ایچ - رحمان : میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک حضرات کو تو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کہے اور میں جو دو منٹ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں مجھے موقع نہیں دیا جاتا ہے - میں قاعدہ کا پابند ہوں اس لئے میں تو نہیں بولوں لیکن جن کو بولنے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیئے وہ برابر بولے جا رہے ہیں - یہ کون سا طریقہ ہے -

[**Shri M. H. Rahman:** I must submit that whereas one person is being allowed the opportunity of having her say, I am not being allowed even two minutes to express my views. I am asked not to speak as I am barred by the rules and yet another person who is not even supposed to have the right to speak is going on. I cannot understand this?]

Mr. Chairman: I request both the Members to be patient and not to quarrel in this way in the House. After all, whatever has been said is on record and there are other forums to settle this.

Shrimati Sucheta Kripalani: Please scrutinise the record.

Shri J. K. Bhonsle: I rise to thank the hon. Members of this House for their constructive approach and for the way in which the business of the House has been conducted. I hope this Bill, when passed, will bring in prosperity to thousands of displaced persons who have been waiting for this opportunity to come along their way.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.